fQjkstkckn&f'kdkgkckn fodkl ikf/kdj.k Page 1 of 32

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथासंशोधित 2011) प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दिनांक 10 अक्टूबर 2011

प्रस्तर संख्या	विद्यमान प्राविधान	प्रस्तावित संशोधन
1	2	3
अध्याय—'	1ः परिभाषाएं	
1.2.41	'सर्विस फ्लोर' का तात्पर्य किन्ही दो मंजिलों के बीच 1.75 मीटर की ऊंचाई तक की मंजिल जो कि केवल भवन से सम्बन्धित पाइप, सर्विस डक्ट इत्यादि के उपयोग में लाया जाए, से है।	'सर्विस फ्लोर' का तात्पर्य किन्ही दो मंजिलों के बीच (फ्लोर से सीलिंग तक) 2.10 मीटर की ऊंचाई तक की मंजिल जो कि केवल भवन से सम्बन्धित पाइप, सर्विस डक्ट, इत्यादि के उपयोग में लाया जाए, से है।
		भवन उपविधि में नए प्रस्तर–1.2.43 के रूप में 'सर्विस अपार्टमेन्ट की परिभाषा निम्नवत् शामिल किए जाने का प्रस्ताव है:–
		'सर्विस अपार्टमेन्ट' का तात्पर्य पूर्णतया सुसज्जित एवं 'सेल्फ कन्टेन्ड अपार्टमेन्ट', से है, जिसमें भोजन बनाने की सुविधा (रसोईघर/किचन) हो और जो अल्प अवधि की रिहायश के लिये उपयोग में लाया जाए।
		भवन उपविधि में नए प्रस्तर–1.2.44 के रूप में 'पोडियम पार्किंग' की परिभाषा निम्नवत् शामिल किए जाने का प्रस्ताव है:–
		'पोडियम पार्किंग' का तात्पर्य भूतल के ऊपर (फ्लोर से सीलिंग तक) अधिकतम 2.1 मी. ऊंचे तल/तलों से है, जिस हेतु पार्किंग क्षेत्र में प्रवेश और इसके निकास के लिए वाहनों के आवागमन के लिए रैम्प की व्यवस्था हो।
अध्याय–	2 2.1 विकास अनुज्ञा हेतु अनिवार्यताएं	
2.1.2.5 (IX)(ख)	20 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं के	

	अध्ययन एवं तत्सम्बन्धी फिजिबिलिटी का आंकलन किया जाय और उसके अनुसार ही जलाशय की गहराई निर्धारित की जाए, परन्तु जलाशय की गहराई किसी भी दशा में 03 मीटर से अधिक न रखी जाए। इसके अतिरिक्त जलाशय में केवल उसी योजना के 'सरफेस–रन–आफ' को निस्तारित करने की व्यवस्था की जाए तथा प्रदूषित जल एवं उत्प्रवाह को उसमें न मिलाया जाए।	आकार एवं गहराई निर्धारित की जाए, परन्तु जलाशय की अधिकतम गहराई 03 मीटर रखी जाए। इसके अतिरिक्त जलाशय में केवल उसी योजना के 'सरफेस–रन–आफ' को निस्तारित करने की व्यवस्था की जाए, प्रदूषित जल एवं उत्प्रवाह को उसमें न मिलाया जाए।
2.2 खुल	ने स्थान	
2.2.1	-	प्रस्तर 2.2.1 में (क) के रूप में नया प्राविधान निम्नवत् शामिल किए जाने का प्रस्ताव है:
		2.2.1(क) जोनल डेवलपमेन्ट प्लान—
		पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन के उद्देश्य से ज़ोनल डेवलपमेन्ट प्लान के अन्तर्गत ज़ोन के कुल क्षेत्रफल की न्यूनतम 5 प्रतिशत भूमि पार्क एवं खुले स्थल / हरित क्षेत्र के रूप में आरक्षित की जाएगी।
2.2.1	2.2.1 ले–आउट प्लान स्तर	2.2.1(ख) ले–आउट प्लान
	(1) आवासीय भू–उपयोगः आवासीय तलपट मानचित्र में खुले स्थानों हेतु ले–आऊट के कुल क्षेत्रफल की न्यूनतम 15 प्रतिशत भूमि आरक्षित की जायेगी जिसे 'टाट–लाट', पार्क तथा खेल के मैदान के रूप में प्रस्तावित किया जा सकेगा।	(I) आवासीय भू–उपयोगः आवासीय ले–आऊट प्लान, जो जोनल डेवलपमेन्ट प्लान का भाग हो, के अन्तर्गत खुले स्थानों हेतु ले–आऊट के कुल क्षेत्रफल की न्यूनतम 10 प्रतिशत भूमि आरक्षित की जायेगी, जिसे 'टाट–लाट', पार्क तथा खेल के मैदान के रूप में विकसित किया जाएगा। जोनल डेवलपमेन्ट प्लान प्रभावी न होने की दशा में पार्क एवं खुले स्थानों हेतु ले–आउट प्लान के कुल क्षेत्रफल की न्यूनतम 15 प्रतिशत भूमि आरक्षित की जायेगी। यदि किसी योजना के ले–आउट प्लान में मानक के अनुसार पार्क एवं खुले स्थल हेतु भूमि आरक्षित की गई हो, तो उस योजना में 'ग्रुप हाउसिंग' भूखण्ड के सापेक्ष पुनः पृथक से पार्क एवं खुले स्थल का प्राविधान किया जाना आवश्यक नही होगा।
	(III) अनावासीय भू–उपयोगः अनावासीय क्षेत्र के तलपट मानचित्र में पार्क एवं हरित पट्टिकाएं और पारिस्थितिकी का सन्तुलन बनाए रखने के लिये खुले स्थान का क्षेत्रफल ले–आउट के कुल क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत होगा, जिसे पार्क, ग्रीनरी/ग्रीन बैल्ट, इत्यादि के रूप में विकसित किया जायेगा।	(III) अनावासीय भू–उपयोगः अनावासीय क्षेत्र के ले–आऊट प्लान, जो ज़ोनल डेवलपमेन्ट प्लान का भाग हो, के अन्तर्गत पार्क एवं हरित पटिटकाएं और पारिस्थितिकी का सन्तुलन बनाए रखने के लिये खुले स्थान का क्षेत्रफल ले– आउट के कुल क्षेत्रफल का 5 प्रतिशत होगा, जिसे पार्क, ग्रीनरी/ग्रीन बैल्ट, इत्यादि के रूप में विकसित किया जायेगा। ज़ोनल डेवलपमेन्ट प्लान

		प्रभावी न होने की दशा में खुले स्थानों हेतु ले–आउट के कुल क्षेत्रफल की न्यूनतम 10% भूमि आरक्षित की जायेगी।
2.2.1	टिप्पणी उपर्युक्त प्रस्तर–2.2.1 के (I) तथा (II) के अन्तर्गत अपेक्षित खुले स्थान महायोजना में प्रस्तावित खुले स्थान के अतिरिक्त होंगे अर्थात महायोजना में प्रस्तावित खुले स्थान को सम्मिलित करते हुए तलपट मानचित्र प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में भी उपर्युक्त प्रस्तर–2.2.1 के (I) एवं (II) की अपेक्षानुसार खुले स्थान का अलग से प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु अपेक्षित भूमि की गणना इसी प्रतिशत में सम्म्मिलत की जा सकती है।	टिप्पणी उपर्युक्त प्रस्तर–2.2.1 के (I) तथा (II) के अन्तर्गत अपेक्षित खुले स्थान महायोजना में प्रस्तावित खुले स्थान के अतिरिक्त होंगे अर्थात महायोजना में प्रस्तावित खुले स्थान को सम्मिलित करते हुए तलपट मानचित्र प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में भी उपर्युक्त प्रस्तर–2.2.1 के (I) एवं (II) की अपेक्षानुसार खुले स्थान का अलग से प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु अपेक्षित भूमि की गणना इसी प्रतिशत में सम्मिलित की जा सकती है। परन्तु 3000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से कम भूखण्डों का उप–विभाजन प्रस्तावित होने की दशा में खुले स्थान का प्राविधान अनिवार्य नही होगा।
2.2.2	खुले स्थान के मानक (1) खुले स्थान की न्यूनतम औसत चौड़ाई 7.5 मीटर होगी। परन्तु स्थल की भौतिक आकृति के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा भिन्न आकार में खुले स्थान इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य किए जा सकेंगे कि उनसे समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित हो ।	खुले स्थान के मानक (1) खुले स्थान की न्यूनतम औसत चौड़ाई 7.5 मीटर होगी तथा खुले स्थान का न्यूनतम क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर होगा। स्थल की भौतिक आकृति के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा भिन्न आकार में खुले स्थान इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य किए जा सकेंगे कि उनसे समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित हो ।
2.2.3(II)	खुले स्थान की सीमा बिल्डिंग लाइन से न्यूनतम 3 मीटर की दूरी पर होगी।	प्राप्त सुझावों के दृष्टिगत इस प्रस्तर को यथावत् रखा जाना है।
अध्याय—अ	3.1 भवन निर्माण हेतु अनिवार्यताएं	
3.1.1(क)	(XI) अपने भूखण्ड के सीमांकन उपरांत सड़क की मध्य रेखा से अधिकतम 1.65 मीटर ऊँची बाउण्ड्री वाल का निर्माण, परन्तु महायोजना/ जोनल प्लान/ले–आउट प्लान में निर्धारित सड़क की चौड़ाई के अन्तर्गत आने वाली भूमि पर बाउण्ड्री वाल का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।	(XI) अपने भूखण्ड के सीमांकन उपरांत सड़क की मध्य रेखा से फन्ट में अधिकतम 1.65 मीटर ऊँची बाउन्ड्रीवाल का निर्माण परन्तु आगे, पीछे एवं पार्श्व में अधिकतम 2.40 मीटर ऊंची बाउन्ड्री वाल जिसका न्यूनतम 0.90 मीटर ऊपरी भाग जाली/ ग्रिलयुक्त होगा। महायोजना/जोनल प्लान/ ले–आउट प्लान में निर्धारित सड़क की चौड़ाई के अन्तर्गत आने वाली भूमि पर बाउण्ड्री वाल का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

3.2.1	आवासीयः	आवासीयः
	आवासीय प्रयोजन के लिए भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर तथा भूखण्ड की न्यूनतम चौड़ाई 3.50 मीटर होगी। सार्वजनिक अभिकरणों द्वारा प्रस्तावित अथवा वित्त पोषित विशिष्ट आवासीय योजनाओं (दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग), स्लम क्लीयरेन्स स्कीम, औद्योगिक श्रमिक आवास योजनाओं, आदि में विशेष गृह योजना के अधीन आर्थिक दृष्टि से दुर्बल व्यक्तियों के लिए भूखण्ड का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर तक रखा जा सकता है जिसमें 75 प्रतिशत भू–आच्छादन अनुमन्य होगा। विशिष्ट डिजाइन के आधार पर जिसमें इस समूह के लिए खुले क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति 'क्लस्टर ओपेन स्पेस' के रूप में सुनिश्चित की जाए, भूखण्ड का न्यूनतम आकार 15 वर्ग मीटर तक रखा जा सकता है तथा इसमें भू–आच्छादन 100 प्रतिशत तक, इस शर्त के साथ कि सम्वातन और प्रकाश का समुचित प्राविधान हो, अनुमन्य किया जा सकता है।	आवासीय प्रयोजन के लिए भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर तथा भूखण्ड की न्यूनतम चौड़ाई 3.50 मीटर होगी। दुर्बल एवं अल्प आय वर्गों तथा अन्य वर्गों को अफोर्डेबल हाउसिंग उपलब्ध कराने के लिए मानकों की अपेक्षाएं इस उपविधि के अध्याय–24 के अनुसार होंगी।
3.2.2	ग्रुप हाउसिंगः ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर होगा, जो न्यूनतम 12 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा, परन्तु 18 मीटर या इससे अधिक चौड़ी सड़क से भूखण्ड की दूरी 100 मीटर से अधिक नही होगी। ग्रुप हाउसिंग के निर्माण हेतु अन्य अपेक्षाएं इस उपविधि के प्रस्तर–3.3 के अनुसार होंगी।	
3.2.6	पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशनः पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन के लिए भूखण्ड का न्यूनतम आकार 30 मी. x 17 मी. होगा तथा फिलिंग स्टेशन–कम– सर्विस स्टेशन का न्यूनतम आकार 45 मी. x 36 मी. होगा, जो न्यूनतम 24 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा। पेट्रोल फिलिंग स्टेशन के निर्माण हेतु अन्य अपेक्षाएं इस उपविधि के अध्याय–8 के अनुसार होंगी।	पेट्रोल पम्प / फिलिंग स्टेशनः पेट्रोल पम्प / फिलिंग स्टेशन के लिए भूखण्ड का न्यूनतम आकार 30मी. x 17मी., फिलिंग-कम-सर्विस स्टेशन का न्यूनतम आकार 36मी x 30मी., फिलिंग-कम-सर्विस स्टेशन-कम-वर्कशाप का न्यूनतम आकार 45 मी. x 36 मी. तथा दुपहिया एवं तिपहिया वाहनों हेतु फिलिंग स्टेशन का न्यूनतम आकार 18 मी. x 15 मी. होगा, जो न्यूनतम 24 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा। पेट्रोल पम्प / फिलिंग स्टेशन के निर्माण हेतु अन्य अपेक्षाएं इस उपविधि के अध्याय-8 के अनुसार होंगी।

3.3 समू	ह आव	वास (ग्रुप हाउसिंग)						
3.3.3	चौर मीट दूरी ले- माग	हाऊसिंग हेतु प्रस्तावित भू ड़ी विद्यमान सड़क पर टर या उससे अधिक चौड़ी 100 मीटर से अधिक न -आउट प्लान के अ गौं/सड़कों की चौड़ाई एवं तर–2.3.1 (1) के अनुसार ह	स्थित होग ो सड़क से ही होगी। ान्तर्गत व लम्बाई इस	ा, परन्तु 18 म भूखण्ड की ग्रुप हाउसिंग गहन योग्य	12 हार मार	म हाऊसिंग हेतु प्र मीटर चौड़ी विद्यमान उसिंग ले–आउट प्लान गौं/सड़कों की चौड़ाई तर–2.3.1 (I) के अनुसार	सड़क पर स्थि के अन्तर्गत एवं लम्बाई इर	त होगा। ग्रुप वाहन योग्य
3.3.5	पाव	र्ह एवं खुले क्षेत्र तथा लैण्ड	स्केपिंग		पार	र्क एवं खुले क्षेत्र तथा लै	ण्डस्केपिंग	
	भूख के अधि लैण जि	00 वर्ग मीटर अथवा इस बण्डों में प्रति व्यक्ति 1.0 कुल क्षेत्रफल का 15 प्र वेक हो, की दर से प वेधान किया जाएगा। भ डस्केपिंग प्रस्ताव का अनुम सके अनुसार ग्रुप हाऊसिंग पेड़ की दर से पेड़ लगाए	वर्गमीटर अ तिशत दोन गर्क एवं ख् वन मानचि गेदन मी आ योजना में	नथवा योजना ों में से जो बुले क्षेत्र का त्र के साथ वश्यक होगा;	भूर के दर जा दश् से भव अन् हा	00 वर्ग मीटर अथवा बण्डों में जो ज़ोनल डेव अन्तर्गत योजना के कुल से पार्क एवं खुले एगा। ज़ोनल डेवलपमेन गा में योजना के कुल क्षेत्र पार्क एवं खुले क्षेत्र न मानचित्र के साथ नुमोदन भी आवश्यक ऊसिंग योजना में प्रति 5 लगाए जाएंगे।	लिपमेन्ट प्लान 1 क्षेत्रफल के 10 2 प्लान प्रभावी त्रफल के 15 प्र का प्राविधान कि लैण्डस्केपिंग होगा; जिसके	का भाग हो, प्रतिशत की विधान किया न होने की तेशत की दर केया जाएगा। प्रस्ताव का अनुसार ग्रुप
3.3.6(II)	সহি	धेकतम भू–आच्छादन ३५ प्र	तिशत अनुग	नन्य होगा।		अधिकतम भू–आच्छादन भवन की प्रतिबन्धित उ भू–आच्छादन 45 प्रतिश)ग्रुप हाउसिंग परिय एफ.ए.आर. का अधिक कन्वीनिएन्ट शॉप्स के	फ़ंचाई के क्षेत्रों त अनुमन्य होग जना में क् तम 0.5 प्रतिश	में अधिकतम त । त एफ.ए.आर.
3.3.6	दुर्ब	ल आय वर्ग के व्यक्तियों व	हेत् विशिष्ट	योजनाओं में	इर	न प्रस्तर को डिलीट किर	ा जाना प्रस्तावि	ोत है, क्योंकि
(VII)	সাঃ	धेकतम घनत्व 500 आवार इहोगा।	-		अध			
3.5 मू-	आच्छ	गदन एवं एफ.ए.आर.						
3.5.1	8.	होटल	भू- आच्छादन	एफ.ए.आर.	8.	होटल	भू–आच्छादन	एफ.ए.आर.
		(क)निर्मित / विकसित क्षेत्र				(क)निर्मित / विकसित क्षेत्र	40	2.00
		• 3 स्टार तक	40	1.20		(ख)नए/अविकसित क्षेत्र	40	2.50
		• 5 स्टार एवं अधिक	30	2.00				
		(ख)नए/अविकसित क्षेत्र						
		• 3 स्टार तक	40	1.50				
		• 5 स्टार एवं अधिक	30	2.50				

3.5.1	2. व्यवसायिक						
	नगर केन्द्र	भू-3	ाच्छादन		नगर केन्द्र	भू–आच्छादन	एफ.ए.आर.
	• निर्मित/विकसित क्षेत्र	30) प्रतिशत	• निर्मि	त⁄विकसित क्षेत्र	35 प्रतिशत	2.00
	• नए/अविकसित क्षेत्र	30) प्रतिशत	• नए /	'अविकसित क्षेत्र	35 प्रतिशत	3.00
		0.		टिप्पणी	श्रेणियों के स (ii) भवन की	एवं एफ.ए.आर. थान पर एक ही श प्रतिबन्धित ऊंचाई	की वर्तमान तीन प्रेणी होगी। के क्षेत्रों मे
840 AV.1 40M					अधिकतम भू होगा ।	–आच्छादन ४० ऽ	गतेशत अनुमन्य
3.5.1	10. चिकित्सा						
	अस्पताल	भू–आच्छादन	एफ.ए.आर.		अस्पताल	भू– आ च्छादन	एफ.ए.आर.
	निर्मित / विकसित क्षेत्र			निर्मि	त/विकसित क्षेत्र		
	• 50–100शैय्याओं तक	35	1.50	• 50	शैय्याओं से अधिव	5 35	1.50
	• 100 शैय्याओं से अधिक	35	1.50	टिप्पणी	: 1.5 के ऊपर अ आर. कय–योग	धिकतम 1.00 अ व आधार पर अनु	
3.5.1		-			ग के कम संख्या- किए जाने का प्र		निम्न प्राविधान
				14.	कृषि भू-उपयोग		
					भू–आच्छादन		10.0
					एफ.ए.आर.		0.2
				7	कृषि भू—उपयोग एफ.ए.आर. के उपर ां अनुमन्य कियाओं	ोक्त मानक विशेष	परिस्थितियों
3.6 भव	न की आन्तरिक संरचनाएं,	आकार और ।	क्षेत्रफल				
3.6.8	सर्विस फ्लोरः			सर्विस	फ्लोरः		
	भवन से सम्बन्धित पाइप्स, उपयोग हेतु होटल तथा भवनों में अधिकतम 1.75 ऊँचाई की मंजिल अनुमन एफ.ए.आर. में नही की जाप	अस्पताल व मीटर (बीम य होगी, जि	के बहुमंजिले सहित) की	उपयोग औद्योगि बहुमंजि 'सीलिंग होगा, सर्विस किया	से सम्बन्धित पाइग ोक, होटल, अस्प ोक, होटल, अस्प ले भवनों में अधि ग' तक) की ऊँच जिसकी गणना ए फलोर का प्राविधा जा सकता है, पर फलोर अनुमन्य हो	असिंग, व्यवसायि ताल तथा मिश्रि कतम 2.10 मी काई का सर्विस फ.ए.आर. में नई न प्रत्येक 4 मंजि रन्तु एक भवन ¹	क, कार्यालय त उपयोग के टर ('फ्लोर' से फ्लोर अनुमन्य ो की जाएगी Iल के उपरान्त
3.8.3 (V)(ख)	एट्रियम के क्षेत्रफल की एफ.ए.आर. के अन्तर्गत ना			अतिरि जिसक	म, भूखण्ड के व क्त भू–आच्छादन जे गणना भू–अ त नही की जाएगी	। के रूप में अ ाच्छादन एवं प	अनुमन्य होगा

बेसमे	न्ट के प्रा	विधान		बेसमे	न्ट के प्रावि	धान	
क्र. सं.	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमी.)	भू- उपयोग की प्रकृति	बेसमेन्ट के प्राविधान	क्र. सं.	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमी.)	भू–उपयोग की प्रकृति	बेसमेन्ट के प्राविधान
1.	(प 1 11-) 100 तक	1.1 आवासीय/ अन्य गैर–	अनुमन्य नही	1.	100 तक	1.1 आवासीय / अन्य गैर– व्यवसायिक	अनुमन्य नही
		व्यवसायिक 1.2 कार्यालय एवं	भू–आच्छादन का			1.2 कार्यालय एवं व्यवसायिक	भू–आच्छादन का 50 प्रतिशत
		व्यवसायिक	50 प्रतिशत	2.	100 से अधिक	2.1 आवासीय	भू–आच्छादन का 20 प्रतिशत
2.	101 से अधिक परन्तु	2.1 आवासीय	भू–आच्छादन का 20 प्रतिशत		परन्तु 500 तक	2.2 गैर–आवासीय	भू–आच्छादन के बराबर
	२००० २००० से कम	2.2 गैर–आवासीय	गैर–आवासीय भू–आच्छादन के बराबर	3.	500 से अधिक परन्तु	3.1 आवासीय	बिल्डिंग इन्वेल्प लाइन तक एक बेसमेन्ट
3.	एवं हाउसिं अधिक व्यवसा	3.1 ग्रुप हाउसिंग / व्यवसायिक एवं अन्य	4000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों में डबल बेसमेन्ट तथा 4000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों में तीन बेसमेन्ट		1000 तक	3.2 गैर–आवासीय	बिलिडंग इन्वेल्प लाइन तक दो बेसमेन्ट
		रप जन्म बहुमंजिले भवन		4.	1000 से अधिक	3.1 आवासीय / ग्रुप हाउसिंग, व्यवसायिक, कार्यालय, सामुदायिक	
		3.2 औद्योगिक	भू–आच्छादन के बराबर, परन्तु 50 प्रतिशत की गणना एफ.ए.आर. में होगी			सुविधाएं एवं	तक 4 बेसमेन्ट तथा 10,000 वर्ग मीटर से अधिक में कोई प्रतिबन्ध नही।
		3.3 सामुदायिक सुविधाएं	'डबल' वेसमेन्ट			3.2 औद्योगिक	अनुमन्य भू– आच्छादन के बराबर, परन्तु 50 प्रतिशत की गणना एफ.ए.आर.

3.9.3	 v) उपरोक्त तालिका के कमॉक–3 में उल्लिखित समस्त 	प्रस्तर–3.9.1(IV) के प्राविधानों से विरोधाभास होने के
	प्रकृति के भू—उपयोगों/भवनों में प्राविधानित बेसमेन्ट को केवल पार्किंग के ही उपयोग में लाया जाएगा, अन्य कोई भी उपयोग निषिद्ध होगा।	कारण इस प्रस्तर को डिलीट किया जाना प्रस्तावित है।

5	पार्किंग के मानक						
	उपयोग	समान कार स्थल की संख्या	उपयोग	समा	समान कार स्थल की संख्या		
	 समूह आवास 50-75 व.मी. तल क्षेत्रफल (ग्रुप हाउसिंग) 50-75 व.मी. तल क्षेत्रफल के प्रत्येक फ्लैट पर 1.0, 		 समूह आवार (ग्रुप हाउसिंग) 	न मेट्रो नगर	प्रत्येक 100 व.मी. तत क्षेत्रफल पर 1.5		
		 75–150 व.मी. तक तल 	1	अन्य नगर	प्रत्येक 100 व.मी. तत क्षेत्रफल पर 1.25		
		 73 130 प.गा. राष्ट्र राल क्षेत्रफल के प्रत्येक फ्लैट पर 1.25, 151 व.मी. से अधिक तल क्षेत्रफल के प्रत्येक फ्लैट पर 1.5 	मोट:—कुल पार्किंग क्षेत्र का 10 प्रतिशत भाग ' पार्किंग' के लिए आरक्षित किया जाएगा प्रवेश एवं निकास की उचित व्यवस्था की				
	• नगर केन्द्र / सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट	प्रत्येक 100 व.मी. तल क्षेत्रफल पर 3.0	• नगर केन्द्र / उप—नगर केन्द्र	मेट्रो नगर	प्रत्येक 100 व.मी. तत क्षेत्रफल पर 3.0		
विजनस डिस्ट्रिक्ट उप नगर केन्द्र∕ सब सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ⁄ डिस्ट्रिक्ट शापिंग सेन्टर			अन्य नगर	प्रत्येक 100 व.मी. तत क्षेत्रफल पर 2.0			
	डिस्ट्रिक्ट शापिंग	डिस्ट्रिक्ट शापिंग		पिंग प्रत्येक 100 व.मी. त क्षेत्रफल पर 1.5			
	• सेक्टर शापिंग सेन्टर, बाजार स्ट्रीट,	प्रत्येक 100 व.मी. तल क्षेत्रफल पर 2.0	• कन्चीनिएन्ट शार्पिग	मेट्रो नगर	प्रत्येक 100 व.म तल क्षेत्रफल पर 2.0		
	कन्वीनिएन्ट शापिंग			अन्य नगर			
	होटल	होटल					
	(I) तीन स्टार होटल दो गेस्ट रूम पर 1.0 तथा व्यवसायिक उपयोग हेतु प्रति 100 व.मी. तल क्षेत्रफल पर 2. 0 पार्किंग स्थल।		समस्त स्टार श्रेणी के होटलों हेतु प्रत्येक दो गेस्ट रू पर 1.0 पार्किंग स्थल तथा व्यवसायिक, कार्यालय, सर्वि अपार्टमेन्ट्स एवं बैंन्कवेटिंग के प्रति 100 वर्गमीटर त क्षेत्रफल पर 2.0 पार्किंग स्थल। स्टार रहित/बज				
	(II) चार एवं अधिक स्टार	एक गेस्ट रूम पर 1.0 तथा व्यवसायिक उपयोग हेतु प्रति	होटल के लिए प्रति 100 वर्ग मीटर तल क्षेत्रफल पर 1 पार्किंग स्थल।				
		100 व.मी. तल क्षेत्रफल पर 2. 0 पार्किंग स्थल।	कार्यालय				
	कार्यालय/	प्रति 100 वर्ग मीटर तल	मे	ट्रो नगर	प्रत्येक 100 वर्ग मीट तल क्षेत्रफल प 2.0 पार्किंग स्थल		
	न्यायालय	क्षेत्रफल पर 2.0 पार्किंग स्थल।	3	न्य नगर	प्रत्येक 100 वर्ग मीट तल क्षेत्रफल प 1.5 पार्किंग स्थल		
			क्षेत्र हेतु आरक्षित	भूमि का उ	अन्तर्गत पार्क एवं खुत अधिकतम 5 प्रतिशत भाग हे उपयोग में लाया ज		

	तथा	हाउसिंग, व्यवसायिव संस्थागत भवनों मे ानुसार पार्किंग व्यवस्थ स्टिल्ट फ्लोर के पार्किंग व्यवस्था तल की फर्श से 2.10 मीटर होगी।	प्रस्तर—3.10.9 था भी अनुमन्य साथ एक अनु अनुमन्य होगी	के अतिरिक्त होगी: वर्ती तल पर तथा प्रत्येक	मुप हाउसिंग, व्यवसायिक तथा संस्थागत भवनों मे प्र निम्नानुसार पार्किंग व्यवस्था (I). स्टिल्ट फ्लोर के साथ निम्न प्राविधानों के अर्ध (क) प्रत्येक तल क अधिकतम ऊंचाई (ख) सेट–बैक क्षेत्र में नहीं होगा। (ग) पार्किंग तलों को मीटर ऊँची जाल दीवारों से बन्द न	गस्तर—3.10.9 भी अनुमन्य हो । अनुवर्ती तलो ोन अनुमन्य होग ती फर्श से 2.10 मीटर होग रैम्प का निग चारों तरफ । से ढंका जा	के अतिरिक्त गी:– गी:– सीलिंग तक गी। र्माण अनुमन्य मात्र एक सकेगा तथा
अध्याय—5	होट	ल निर्माण हेतु अपेक्ष	т¢				21.124
5.1	(I) (II)	होटल की अनुज्ञा क्षेत्रफल 1000 वर्ग क्षेत्र में न्यूनतम 18 तथा गैर–आवासीय चौड़े विद्यमान मार्ग आवासीय क्षेत्र में का होटल अनुमन्य महायोजना/परिक्षेत्र	हेतु भूखण्ड मीटर होगा ज मीटर चौड़े f क्षेत्रों में न्यूनत पर स्थित होग अधिकतम ती होगा। ोय योजना त	गे आवासीय वेद्यमान मार्ग तम 24 मीटर T I न स्टार तक था सेक्टर /	 (I) होटल की अनुज्ञा है क्षेत्रफल 1000 वर्ग में 18 मीटर चौड़े विद्यमान (II) होटल की अनुमति पा बगीचे, हरित क्षेत्र, वन प्रभावित क्षेत्र, आदि भू– समस्त भू–उपयोगों में ह अधीन देय होगी, जिस रेगुलेशन्स में आवश्यक 	रिर होगा जं मार्ग पर स्थित के एवं खुले क्षेत्र, संकटमय उपयोगों को फ तेटल हेतु निर्धा त हेतु महायोज्	ो न्यूनतम होगा। स्थल, बाग– उद्योग, बाढ़ छोड़कर अन्य रित शर्तो के जना जोनिंग
	(,	ले–आउट प्लान में स्थानीय वाणिज्यिव क्षेत्रफल के भूखण्ड अनुमन्य होगा।	क केन्द्र में	इससे कम	जाएगा। (III)होटल अथवा व्यवसायिव में होटल की अनुमन्यता शुल्क देय नही होगा।		भेन्न उपयोग
5.2	एफ . भू–्	स्थानीय वाणिज्यिव क्षेत्रफल के भूखण्ड	क केन्द्र में पर भी होटल दन	इससे कम 1 का निर्माण	(III)होटल अथवा व्यवसायिव में होटल की अनुमन्यता	हेतु परिवर्तन । / अविकसित क्षे	भेन्न उपयोग शुल्क/प्रभाव त्रों में होटल
5.2	एफ . भू–्	स्थानीय वाणिज्यित क्षेत्रफल के भूखण्ड अनुमन्य होगा। ए.आर. एवं भू–आच्छा आच्छादन एवं एफ.ए.अ	क केन्द्र में पर भी होटल दन ार. निम्नानुसार	इससे कम 1 का निर्माण होगा:	(III)होटल अथवा व्यवसायिव में होटल की अनुमन्यता शुल्क देय नही होगा। एफ.ए.आर. एवं भू-आच्छादन निर्मित / विकसित तथा नए, हेतु भू-आच्छादन एवं एफ.	हेतु परिवर्तन । / अविकसित क्षे ए.आर. के मान्	भेन्न उपयोग शुल्क/प्रभाव त्रों में होटल नक निम्नवत्
5.2	एफ . भू–्	स्थानीय वाणिज्यित क्षेत्रफल के भूखण्ड अनुमन्य होगा। ए.आर. एवं भू–आच्छा आच्छादन एवं एफ.ए.अ वाणिज्यिक भू–उपयोग निर्मित / विकसित	क केन्द्र में पर भी होटल दन	इससे कम 1 का निर्माण	(III)होटल अथवा व्यवसायिव में होटल की अनुमन्यता शुल्क देय नही होगा। एफ.ए.आर. एवं भू-आच्छादन निर्मित / विकसित तथा नए, हेतु भू-आच्छादन एवं एफ.	हेतु परिवर्तन । / अविकसित क्षे	भेन्न उपयोग शुल्क/प्रभाव त्रों में होटल
5.2	एफ . भू–्	स्थानीय वाणिज्यित क्षेत्रफल के भूखण्ड अनुमन्य होगा। ए.आर. एवं भू–आच्छा आच्छादन एवं एफ.ए.अ वाणिज्यिक भू–उपयोग निर्मित/विकसित क्षेत्र नए/अविकसित	क केन्द्र में पर भी होटल दन ॥र. निम्नानुसार भू–आच्छादन	इससे कम का निर्माण होगाः– एफ.ए.आर.	(॥)होटल अथवा व्यवसायिव में होटल की अनुमन्यता शुल्क देय नही होगा। एफ.ए.आर. एवं भू–आच्छादन निर्मित / विकसित तथा नए, हेतु भू–आच्छादन एवं एफ. होंगे:–	हेतु परिवर्तन / अविकसित क्षे ए.आर. के मान भू–आच्छादन	भेन्न उपयोग शुल्क/प्रभाव त्रों में होटल नक निम्नवत् एफ.ए.आर.
5.2	एफ . भू–ें (क)	स्थानीय वाणिज्यित क्षेत्रफल के भूखण्ड अनुमन्य होगा। ए.आर. एवं भू–आच्छा आच्छादन एवं एफ.ए.अ वाणिज्यिक भू–उपयोग निर्मित/विकसित क्षेत्र नए/अविकसित क्षेत्र	क केन्द्र में पर भी होटल दन गर. निम्नानुसार भू–आच्छादन 30 30	इससे कम का निर्माण होगा: एफ.ए.आर. 2.00	(III)होटल अथवा व्यवसायिव में होटल की अनुमन्यता शुल्क देय नही होगा। एफ.ए.आर. एवं भू–आच्छादन निर्मित / विकसित तथा नए, हेतु भू–आच्छादन एवं एफ. होंगे:– (क) निर्मित / विकसित क्षेत्र (ख) नए/ अविकसित क्षेत्र 4000 वर्गमीटर एवं अधिक	हेतु परिवर्तन / अविकसित क्षे ए.आर. के मान भू–आच्छादन 40 40 क्षेत्रफल के	भेन्न उपयोग शुल्क/प्रभाव त्रों में होटल नक निम्नवत् एफ.ए.आर. 2.00 2.50 भूखण्डों पर
5.2	एफ . भू–ें (क)	स्थानीय वाणिज्यित क्षेत्रफल के भूखण्ड अनुमन्य होगा। ए.आर. एवं भू–आच्छा आच्छादन एवं एफ.ए.अ वाणिज्यिक भू–उपयोग निर्मित/विकसित क्षेत्र नए/अविकसित	क केन्द्र में पर भी होटल दन ार. निम्नानुसार भू–आच्छादन 30 30 11ग	इससे कम का निर्माण होगा: एफ.ए.आर. 2.00 2.50	(III)होटल अथवा व्यवसायिव में होटल की अनुमन्यता शुल्क देय नही होगा। एफ.ए.आर. एवं भू–आच्छादन निर्मित/विकसित तथा नए, हेतु भू–आच्छादन एवं एफ. होंगे:– (क) निर्मित/विकसित क्षेत्र (ख) नए/अविकसित क्षेत्र 4000 वर्गमीटर एवं अधिक होटल निर्माण हेतु सड़क	हेतु परिवर्तन / अविकसित क्षे ए.आर. के मान भू–आच्छादन 40 40 की चौड़ाई एव	भेन्न उपयोग शुल्क / प्रभाव त्रों में होटल नक निम्नवत् एफ.ए.आर. 2.00 2.50 भूखण्डों पर बं भूखण्ड के
5.2	एफ . भू–ें (क)	स्थानीय वाणिज्यित क्षेत्रफल के भूखण्ड अनुमन्य होगा। ए.आर. एवं भू–आच्छा आच्छादन एवं एफ.ए.अ वाणिज्यिक भू–उपयोग निर्मित/विकसित क्षेत्र नए/अविकसित क्षेत्र	क केन्द्र में पर भी होटल दन गर. निम्नानुसार भू–आच्छादन 30 30	इससे कम का निर्माण होगा: एफ.ए.आर. 2.00	(III)होटल अथवा व्यवसायिव में होटल की अनुमन्यता शुल्क देय नही होगा। एफ.ए.आर. एवं भू–आच्छादन निर्मित / विकसित तथा नए, हेतु भू–आच्छादन एवं एफ. होंगे:– (क) निर्मित / विकसित क्षेत्र (ख) नए/ अविकसित क्षेत्र 4000 वर्गमीटर एवं अधिक	हेतु परिवर्तन / अविकसित क्षे ए.आर. के मान भू–आच्छादन 40 40 की चौड़ाई एव य–योग्य एफ.ए	भेन्न उपयोग शुल्क / प्रभाव त्रों में होटल नक निम्नवत् एफ.ए.आर. 2.00 2.50 भूखण्डों पर i भूखण्ड के र.आर. सहित

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफ (व.मी.)	फल न्यूनतम	क्रय-योग्य एफ.ए.आर. सहित कुल अनुमन्य एफ.ए.आर.
4000	18	3.00
10000	24	3.50
10000 से अधि	अधिक 30	4.00
टिप्पणी–		
 उपरोक्त त अनुमन्यता सड़क की होना आवश् होटल भवन 	ता हेतु भूखण्ड का न की न्यूनतम चौड़ाई—दो वश्यक है। वन में 20 प्रतिशत ए	योग्य एफ.ए.आर. की न्यूनतम क्षेत्रफल तथा नों अपेक्षाओं की पूर्ति फ.ए.आर. का उपयोग
प्र <mark>ति</mark> शत एफ		टेल शाप्स तथा 20 ग सर्विस अपार्टमेन्ट्स
 होटल भवन पर एट्रियम 	वन में 5 प्रतिशत अ	तिरिक्त भू–आच्छादन ा है, जिसकी गणना ।
होटल—कम- विकसित त के अधीन अ	अनुमति देय होगी:-	'योजना' के लिए त क्षेत्रों में निम्न शर्तों
	न्यूनतम 30.0 मीटर	रुल 2.0 हैक्टेयर होगा चौड़े मार्ग पर स्थित
बेसिक 1.00	•	40 प्रतिशत तथा होगा जिसके ऊपर –योग्य आधार पर
होटल एफ.ए हेतु रि ए.आर व्यवस	टल उपयोग में लाया 5.ए.आर. का उपयोग 1 किया जा सकेगा। र भार. के अन्तर्गत	व्यवसायिक प्रयोजन उक्त 25 प्रतिशत एफ. त कार्यालय एवं ाप्स तथा सर्विस
(IV) परियो	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	र्वेस रोड के माध्यम से
(V) स्थल ड्रेनेज आपूरि	ल पर अन्य अवस्था जि, सीवरेज, जला	पना सुविधाएं यथा— पूर्ति, विद्युत विद्युत १. के सापेक्ष उपलब्ध

					7 .	नगर का आकार	पार्किंग व्यवस्था
				1	•	मैट्रो नगर	प्रत्येक 02 गेस्ट रूम पर 01 पार्किंग स्थल तथा व्यवसायिक, कार्यालय, सर्विस अपार्टमेन्ट्स एव बैन्कवेटिंग के प्रति 100 वर्गमीटर तल क्षेत्रफल पर 03 कार पार्किंग स्थल।
				2		अन्य नगर	प्रत्येक 02 गेस्ट रूम पर 01 पार्किंग स्थल तथा व्यवसायिक, कार्यालय, सर्विस अपार्टमेन्ट्स एवं बैन्कवेटिंग के प्रति 100 वर्गमीटर तल क्षेत्रफल पर 02 कार पार्किंग स्थल।
				(V)	र र	गथा—सैट- नेफ्टी, उ	र्माण सम्बन्धी अन्य अपेक्ष -बैक, फायर सेफ्टी एवं स्ट्रक्चर गदि प्रचलित भवन निर्माण ए गविधि के अनुसार होंगी।
5.5	पार्किंग ताइनों की	गार्किंग ह	रेत निम्नानसार पार्किंग ठातस्था	पार्किंग जगाउन		ग्र श्रोणी :	के होरनों हेत गनोक तो गेयर क
5.5	वाहनों की		हेतु निम्नानुसार पार्किंग व्यवस्था । जाएगी:–	समस्त पर 1.	रट .0	पार्किंग ज	के होटलों हेतु प्रत्येक दो गेस्ट रू खल तथा व्यवसायिक, कार्याल
5.5	वाहनों की			समस्त पर १. सर्विस वर्गमीट रहित/	रट .0 .अ रर ⁄ बज	पार्किंग ज पार्टमेन्ट्स तल क्षेत्रप तट होटल	

प्रयोजन/ पू- आछणदन एक. ए. एक. ए. एक. ए. एक. ए. एक. ए. एक. ए. एक. सेट- के (मीटर) (a) पेट्रोल पम्प / फिलिंग सटेशन 30णीx 17मी 10 0.1 3.0 6.0 (a) पेट्रोल पम्प / फिलिंग सटेशन कम-सर्विस सटेशन 10 0.1 3.0 6.0 (a) पेट्रोल पम्प / फिलिंग सटेशन कम-सर्विस सटेशन 20 0.2 6.0 6.0 (a) फेहिंग स्टेशन- कम-सर्विस सटेशन 20 0.2 6.0 6.0 (a) फेहिंग स्टेशन- कम-सर्विस सटेशन 20 0.2 6.0 6.0 (a) फिलिंग स्टेशन- कम-सर्विस सटेशन 20 0.2 6.0 6.0 (a) निर्माण अनुज्ञा मारत सरकार सटेशन 20 0.2 6.0 6.0 (b) निर्माण अनुज्ञा मारत सरकार सरका से या होत् आवश्यक एन्टीना टावर, रेडियो, इक्विपमेन्ट कक्ष तथा जेनरेटर कक्ष के निर्माण के लिये हो उपलब्ध होगी। जनरेटर कक्ष के निर्माण के लिये हो उपलब्ध होगी। जनरेटर कक्ष के निर्माण के लिये खरा लगाए जाएंगे। (1) निर्माण अनुज्ञा मारत सरकार के दूरसंचा तथा जेनरेटर का मो बाइल, अस्त्रिक होंगे जो किसी भी तल पर लगाए प सकेंगे, परन्तु जनरेटर लगाने हेतु उत्तर प्रदे प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड तथा विद्युत सुख नदेशाल्य का अनापति	8.3.	भूखण्ड की मापें एवं मानक					भूखण्ड की मापें एवं मानक				
$\sqrt{16}$ (أ) $\sqrt{16}$ (أ) $\sqrt{16}$ (أ) $\sqrt{16}$ (i) $\sqrt{16}$ (आच्छादन	ए .	सेट- बैक	की ऊँचाई		आच्छादन	ए.	सेट बैक	ऊँचाई
$\frac{10}{30^{H}x 17^{H}}$ 100.13.06.0(a) फिलिंग रदेशन- कम-सर्विस रदेशन रदेशन 45मी x36 मी0.26.06.0(i) 18मीx 15मी100.13.06.0(a) फिलिंग रदेशन- कम-सर्विस रदेशन 45मी x36 मी200.26.06.0(ii) 30मीx 17मी100.13.06.0(a) फिलिंग स्टेशन- कम-सर्विस रदेशन 45मी x36 मी200.26.06.0(ii) 36मीx 30मी200.26.06.0अध्याय-12 सेलुलर/मोबाइल/बेसिक टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ टावर निर्माण हेतु अपेक्षाएं(i) निर्माण अनुज्ञा भारत सरकार के दूरसंचा दूरसंचा विभाग द्वारा लाइसेंस प्राप्त सेलुलर मोबाइल/बेसिक टेलीफोन सेवा आपरेटरों को इस सेवा हेतु आवश्यक एन्टीना टावर, रेडियो, इक्विपमेन्ट कक्ष तथा जेनरेटर कक्ष के निर्माण के लिये ही उपलब्ध होगी। जनरेटर केवल 'साइलेन्ट' प्रकृति के होंगे तथा भू-तल पर ही लगाए जाएंगे।(i) निर्माण मेव- तथा के अन्येटर लगाने हेतु उत्तर प्रदे प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड तथा विद्युत सुरस नदेशालय का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तु							(अ) पेट्रोल पम्प/	फिलिंग स्टे	शन		
(ब)फिलिंग स्टेशन- कमसर्विस स्टेशन 20 0.2 6.0 6.0 (ब)फिलिंग स्टेशन- कमसर्विस स्टेशन 20 0.2 6.0 6.0 अध्याय-12 सेलुलर/मोबाइल/बेसिक टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ टावर निर्माण हेतु अपेक्षाएं 12.2 (I) निर्माण अनुज्ञा मारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा लाइसेंस प्राप्त सेलुलर मोबाइल/बेसिक टेलीफोन सेवा आपरेटरों को इस सेवा हेतु आवश्यक एन्टीना टावर, रेडियो, इक्विपमेन्ट कक्ष तथा जेनरेटर कक्ष के निर्माण के लिये ही उपलब्ध होगी। जनरेटर केवल 'साइलेन्ट' प्रकृति के हॉगे तथा भू-तल पर ही लगाए जाएंगे। (I) निर्माज प्रे जिसी भी तल पर लगाए प सकॅंगे, परन्तु जनरेटर लगाने हेतु उत्तर प्रदे प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड तथा विद्युत सुख नेदेशालय का अनापत्ति प्रमाणप्रत्र प्रत्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड तथा विद्युत सुख			10	0.1	3.0	6.0	(i)18मीx 15मी	10	0.1	3.0	6.0
स्टेशन- कम-सर्विस रटेशन 45मी x36 मी 20 0.2 6.0 6.0 6.0 (a) फिलिंग स्टेशन-कम-संग्वेस स्टेशन (i)36मीx 30मी 20 0.2 6.0 6.0 अध्याय-12 सेलुलर/मोबाइल/बेसिक टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ टावर निर्माण हेतु अपेक्षाएं (a) निर्माण अनुज्ञा भारत सरकार के दूरसंचा विभाग द्वारा लाइसेंस प्राप्त सेलुलर मोबाइल/बेसिक टेलीफोन सेवा आपरेटरों को इस सेवा हेतु आवश्यक एन्टीना टावर, रेडियो, इक्विपमेन्ट कक्ष तथा जेनरेटर कब्ष के निर्माण के लिये ही उपलब्ध होगी। जनरेटर केवल 'साइलेन्ट' प्रकृति के होंगे तथा भू-तल पर ही लगाए जाएंगे। (b) निर्माण अनुज्ञा भारत सरकार के दूरसंच विभाग द्वारा लाइसेंस प्राप्त सेलुलर बेसिक टेलीफोन सेवा आपरेटरों को इस सेवा हेतु आवश्यक एन्टीना टावर, रेडियो, इक्विपमेन्ट कक्ष तथा जेनरेटर कब्ष के निर्माण के लिये ही उपलब्ध होगी। जनरेटर केवल 'साइलेन्ट' प्रकृति के होंगे तथा भू-तल पर ही लगाए जाएंगे। (c) निर्माणम-स्टेशन-कम-सावस स्टेशन		30मीx 17मी					(ii)30मीx 17मी	10	0.1	3.0	6.0
कम-सावस सटेशन 45मी x36 मी 6.0 6.0 6.0 6.0 अध्याय-12 सेलुलर/मोबाइल/बेसिक टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ टावर निर्माण हेतु अपेक्षाएं 12.2 (I) निर्माण अनुज्ञा भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा लाइसेंस प्राप्त सेलुलर मोबाइल/बेसिक टेलीफोन सेवा आपरेटरों को इस सेवा हेतु आवश्यक एन्टीना टावर, रेडियो, इक्विपमेन्ट कक्ष तथा जेनरेटर कक्ष के निर्माण के लिये ही उपलब्ध होगी। जनरेटर केवल 'साइलेन्ट' प्रकृति के होंगे तथा भू-तल पर ही लगाए जाएंगे। (I) निर्माण अनुज्ञा भारत सरकार के दूरसंच विभाग द्वारा लाइसेंस प्राप्त सेलुलर मोबाइल, बेसिक टेलीफोन सेवा आपरेटरों को इस सेवा हेतु आवश्यक एन्टीना टावर, रेडियो, इक्विपमेन्ट कक्ष तथा जेनरेटर किवल 'साइलेन्ट' प्रकृति के होंगे तथा भू-तल पर ही लगाए जाएंगे। (I) निर्माण अनुज्ञा भारत सरकार के दूरसंच विभाग द्वारा लाइसेंस प्राप्त सेलुलर मोबाइल, बेसिक टेलीफोन सेवा आपरेटरों को इस से हेतु आवश्यक एन्टीना टावर, रेडियो, इति आवश्यक एन्टीना टावर, रेडियो, इतिय हो उपलब्ध होगी। जनरेटर केवल 'साइलेन्ट' प्रकृति के होंगे तथा भू-तल पर ही लगाए जाएंगे।					(ब) फिलिंग स्टेश	न—कम—स	र्वेस स्टे	शन			
45मी x36 मी (ii)45मीx 36मी 20 0.2 6.0 6.0 अध्याय—12 सेलुलर/मोबाइल/बेसिक टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ टावर निर्माण हेतु अपेक्षाएं 12.2 (i) निर्माण अनुज्ञा भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा लाइसेंस प्राप्त सेलुलर मोबाइल/बेसिक टेलीफोन सेवा आपरेटरों को इस सेवा हेतु आवश्यक एन्टीना टावर, रेडियो, इक्विपमेन्ट कक्ष तथा जेनरेटर कक्ष के निर्माण के लिये ही उपलब्ध होगी। जनरेटर केवल 'साइलेन्ट' प्रकृति के होंगे तथा भू–तल पर ही लगाए जाएंगे। (i) निर्माण अनुज्ञा भारत सरकार के दूरसंच विभाग द्वारा लाइसेंस प्राप्त सेलुलर मोबाइल, बेसिक टेलीफोन सेवा आपरेटरों को इस सेवा हेतु आवश्यक एन्टीना टावर, रेडियो, इक्विपमेन्ट कक्ष तथा जेनरेटर कक्ष के निर्माण के लिये ही उपलब्ध होगी। जनरेटर केवल 'साइलेन्ट' प्रकृति के होंगे तथा भू–तल पर ही लगाए जाएंगे। (i) निर्माण अनुज्ञा भारत सरकार के दूरसंच विसक टेलीफोन सेवा आपरेटरों को इस सेक हेतु आवश्यक एन्टीना टावर, रेडियो, इक्विपमेन कक्ष तथा जेनरेटर कक्ष के निर्माण कक्ष तथा जेनरेटर कक्ष के निर्माण कक्ष तथा जेनरेटर का के निर्माण के लिये 'याइलेन्ट' प्रकृति के होंगे तथा भू–तल पर ही लगाए जाएंगे।			20	0.2	6.0	6.0	(i)36मीx 30मी	20	0.2	6.0	6.0
अध्याय—12 सेलुलर/मोबाइल/बेसिक टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ टावर निर्माण हेतु अपेक्षाएं 12.2 (I) निर्माण अनुज्ञा भारत सरकार के दूरसंचार (I) निर्माण अनुज्ञा भारत सरकार के दूरसंचा विभाग द्वारा लाइसेंस प्राप्त सेलुलर विभाग द्वारा लाइसेंस प्राप्त सेलुलर मोबाइल, बेसिक टेलीफोन सेवा आपरेटरों को इस सेवा हेतु आवश्यक एन्टीना टावर, रेडियो, इक्विपमेन्ट कक्ष तथा जेनरेटर कक्ष के निर्माण के लिये ही उपलब्ध होगी। जनरेटर केवल 'साइलेन्ट' प्रकृति के होंगे तथा भू—तल पर ही लगाए जाएंगे। (I) निर्माण अनुज्ञा भारत सरकार के दूरसंच (I) निर्माण अनुज्ञा भारत सरकार के दूरसंचा वीभाग द्वारा लाइसेंस प्राप्त सेलुलर मोबाइल, बेसिक टेलीफोन सेवा आपरेटरों को इस सेवा हेतु आवश्यक एन्टीना टावर, रेडियो, इक्विपमेन् कक्ष तथा जेनरेटर कक्ष के निर्माण के लिये ही उपलब्ध होगी। जनरेटर केवल 'साइलेन् 'संच्रेत्ते' के होंगे तथा भू—तल पर ही लगाए जाएंगे।							(ii)45मीx 36मी	20	0.2	6.0	6.0
		1141201/ 4					411147 0011			1011 41	रिय म
		इक्विपमेन्ट के लिये ई 'साइलेन्ट' ! लगाए जाएं	कक्ष तथा ो उपलब्ध प्रकृति के ह गे।	जेनरेट होगी होंगे त	। जनरे था भू–त	के निर्माण टर केवल	कक्ष तथा ज उपलब्ध हे प्रकृति के हे सकेंगे, परन प्रदूषण नि	नेनरेटर क ोंगी। जन ोंगे जो कि तु जनरेटर यन्त्रण बो का अना	क्ष के तरेटर सी भी लगा र्ड त	निर्माण केवल तल पर ने हेतु र था विष	इक्विपमेन के लिये 'साइलेन र लगाए र उत्तर प्रदे द्युत सुरह
अध्याय—21 शापिंग माल के निर्माण हेतु अपेक्षाएं 21.6(II) शापिंग माल में 'एट्रियम' बनाया जा सकेगा, जो शापिंग माल में 5 प्रतिशत अतिरिक्त भू—आच्छादन प	33800	इक्विपमेन्ट के लिये ई 'साइलेन्ट' ! लगाए जाएं 21 शापिंग माल द	कक्ष तथा ो उपलब्ध प्रकृति के ह गे। के निर्माण	जेनरेट होगी होंगे त हेतु अ	। जनरेग था भू—त पेक्षाएं	के निर्माण टर केवल Iल पर ही	कक्ष तथा उ उपलब्ध हे प्रकृति के हे सकेंगे, परन प्रदूषण नि निदेशालय करना होगा	जेनरेटर क ोंगी। जन ॉंगे जो कि तु जनरेटर यन्त्रण बो का अना ।	क्ष के ारेटर सी भी लगा र्ड त पत्ति	निर्माण केवल तल पर ने हेतु र था विग प्रमाण—	इक्विपमेन के लिये 'साइलेन र लगाए र उत्तर प्रदे युत सुरह पत्र प्रस्तु

	प्रस्तर संख्या एवं विद्यमान प्राविधान	प्रस्तावित संशोधन	
1.	3.11.3.1 (III) पुराने निर्मित ऐसे भवन जिनके मानचित्र स्वीकृत नही है: ऐसे भवनों में पहुँच मार्ग, सेट-बैक तथा फायर एस्केप का प्राविधान अनिवार्य नही होगा, परन्तु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अन्य 17 अपेक्षाएं 'केस-टू-केस' के आधार पर सुनिश्चित की जाएंगी। ऐसे भवनों में महायोजना/जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार अनुमन्य उपयोग से भिन्न/ अनाधिकृत उपयोग मिश्रित होगा।	पुराने निर्मित ऐसे भवन जिनव है: (क) ऐसे भवन, जो तत्समय आच्छादित हैं। (ख) ऐसे भवन, जो ग्रामीण अ है और तत्समय प्रवृत्त म नहीं हैं। उपरोक्त दोनों प्रकार के भवनों तथा फायर एस्केप का प्राविध परन्तु अग्नि सुरक्षा सम्बन्ध 'केस-टू-केस' के आधार पर ज जक्त प्राविधान शासनादे 08-181विविध/2008, दिनांक शामिल किया जा रहा है।	1 प्रवृत्त महायोजना से ौर शहरी क्षेत्र में निर्मित नहायोजना से आच्छादित में पहुँच मार्ग, सेट—बैक ान अनिवार्य नही होगा, ी अन्य 17 अपेक्षाएं पुनिश्चित की जाएंगी। श सं.—5899/आठ—3—
2.	3.4.5 (II) किसी भी भवन की अधिकतम ऊँचाई इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि 30 मीटर से कम चौड़े मार्गों पर स्थित भवनों की अधिकतम ऊँचाई मार्ग की विद्यमान चौड़ाई तथा फ्रन्ट सेट–बैक के योग के डेढ़ गुना से अधिक नही होगी, परन्तु 30 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े मार्गों पर स्थित भवनों में यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। भवन की अधिकतम ऊँचाई संरक्षित स्मारक/हैरिटेज़ स्थल से दूरी, एयरपोर्ट फन्नेल जोन तथा अन्य स्टेट्युटरी प्रतिबन्धों से भी नियन्त्रित होगी।	किसी भी भवन की अधिकतम अधीन होगी कि 30 मीटर से व भवनों की अधिकतम ऊँचाई म तथा फ्रन्ट सेट–बैक के योग नही होगी, परन्तु 30 मीटर मार्गों पर स्थित भवनों में यह प्र भवन की अधिकतम ऊँचाई न स्थल से दूरी, एयरपोर्ट फ स्टेट्युटरी प्रतिबन्धों से भी अड्डों / हवाई पट्टी के समी एवियेशन आर्गेनाइजेशन के मा निर्माणों की अधिकतम ऊँचा अनुभाग के शासनादेश सं.–20 04 फरवरी, 2010 के अनुपालन (1) Parallel to runway line of runway(on bo मध्य रेखा से दूरी (मीटर) (क) 125 तक	कम चौड़े मार्गो पर स्थित प्रार्ग की विद्यमान चौड़ाई के डेढ़ गुना से अधिक एवं उससे अधिक चौड़े प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। संरक्षित स्मारक / हैरिटेज़ न्नेल ज़ोन तथा अन्य नियन्त्रित होगी। हवाई प इन्टरनेशनल सिविल नकों के अनुरूप विभिन्न ई नागरिक उड्डयन 2/छप्पन/2010 दिनांक में निम्नवत होगी:—

		(ग) 150-175 तक	6 मी. ऊँचाई तक
		(घ) 175-200 तक	9 मी. ऊँचाई तक
		(च) 200–225 तक	12 मी. ऊँचाई तक
		(प) 200 220 तक (छ) 225–250 तक	15 मी. ऊँचाई तक
		(ज) 250–275 तक	18 मी. ऊँचाई तक
		(डा) 275-300 तक	21 मी. ऊँचाई तक
			21 मा. ऊवाइ तक 25 मी. ऊँचाई तक
		(ट) 300-325 तक	25 मा. ऊँयाई तक 29 मी. ऊँचाई तक
		(ব) 325-350 নক	
		(ड) 350-375 तक	33 मी. ऊँचाई तक
		(ढ) 375-400 तक	37 मी. ऊँचाई तक
		(ण) 400-425 तक	41मी. ऊँचाई तक
		(त) 425-4100 तक	45 मी. ऊँचाई तक
		(थ) 4100 से अधिक	कोई प्रतिबन्ध नहीं
		(2) Beyond both from the edg	ends of runway e of runway:
		किनारों से दूरी (मीटर)	अनुमन्यता
		(क) 500 तक	कोई निर्माण नहीं।
		(ख) 500—750 तक	9 मी. ऊँचाई तक
		(ग) 750-1000 तक	15 मी. ऊँचाई तक
		(घ) 1000-1250 तक	20 मी. ऊँचाई तक
		(च) 1250-1500 तक	25 मी. ऊँचाई तक
		(छ) 1500–1750 तक	30 मी. ऊँचाई तक
		(ज) 1750-2000 तक	35 मी. ऊँचाई तक
		(झ) 2000-2250 तक	40 मी. ऊँचाई तक
		(ट) 2250-4000 तक	45 मी. ऊँचाई तक
		(ठ) ४००० से अधिक	कोई प्रतिबन्ध नहीं।
ब इ	.1(॥) ाजार मार्गो पर व्यवसायिक निर्माण महायोजना में रस उपयोग हेतु प्रस्तावित भूमि की सीमा तक तनुमन्य होगा।	उपयोग हेतु प्रस्तावित भू होगा। परन्तु 24 मीटर औ पर स्थित किसी भूखण्ड प दशा में होटल केवल 'बाज नहीं अपितु भूखण्ड के र होगा। उक्त प्राविधान शास	क निर्माण महायोजना में इस मि की सीमा तक अनुमन्य र उससे अधिक चौड़ी सड़क र होटल का प्रस्ताव होने की ार स्ट्रीट' की गहराई तक ही सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर अनुमन्य नादेश संख्या 2113/8–3– नांक 28.06.2011 के कम में

105	1.020	
4.	4.1(V) अधिकतम भू–आच्छादन 40 प्रतिशत एवं तल क्षेत्रानुपात 1.2 अनुमन्य होगा, परन्तु 24.0 मीटर एवं अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित भूखण्डों पर तल क्षेत्रानुपात 1.5 अनुमन्य होगा।	अधिकतम भू–आच्छादन 40 प्रतिशत एवं तल क्षेत्रानुपात 1.2 अनुमन्य होगा, परन्तु 24.0 मीटर एवं अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित भूखण्डों पर तल क्षेत्रानुपात 1.5 अनुमन्य होगा। 'बाजार–स्ट्रीट' भू–उपयोग में होटल के लिए अधिकतम भू–आच्छादन एवं एफ.ए.आर. के मानक प्रस्तर–3.5.1 के कमांक–8 के अनुसार होंगे।
5.	3.5.1 टिप्पणी (VII) यदि भू–स्वामी की निजी स्वामित्व की भूमि है अथवा प्राधिकरण/आवास परिषद द्वारा आवंटित नही है, तो उपरोक्त तालिकानुसार वर्तमान में अनुमन्य एफ.ए.आर. से जितना अतिरिक्त एफ.ए.आर. देय होगा, के लिए वर्तमान सर्किल रेट के 15 प्रतिशत की दर से 'सिटी डेवलपमेन्ट चार्जेज' देय होंगे।	नए/अविकसित क्षेत्र में जहाँ भू-स्वामी की निजी भूमि है, वहाँ ग्रुप हाउसिंग के लिए 1.5 से अधिक परन्तु 2.5 एफ.ए.आर. तक के लिए कय-योग्य एफ.ए.आर. शुल्क देय होगा, जिस हेतु अनुपातिक भूमि की आवश्यकता 2. 5 एफ.ए.आर. से विभाजित कर आगणित की जाएगी तथा 2.5 एफ.ए.आर. के ऊपर नियमानुसार 50 प्रतिशत क्रय-योग्य एफ.ए.आर. अनुमन्य होगा, जिसके लिए अनुपातिक भूमि की आवश्यकता 2.5 एफ.ए.आर. से विभाजित कर आगणित की जाएगी। उक्त प्राविधान शासनादेश संख्या 3589/8-3- 2011-11विविध/08, दिनांक 4.8.2011 के कम में शामिल किया जा रहा है।
6.	3.5.2.2 (ख) क्रय–योग्य एफ.ए.आर. के सापेक्ष अतिरिक्त इकाइयाँ अधिकतम निर्धारित घनत्व की सीमा के अन्तर्गत ही अनुमन्य होंगी।	ग्रुप हाउसिंग योजना में क्रय–योग्य एफ.ए.आर. के सापेक्ष समानुपातिक आधार पर आवासीय इकाईयाँ अनुमन्य होंगी, जो प्रचलित घनत्व मानकों के अतिरिक्त होंगी। उक्त प्राविधान शासनादेश संख्या 3589/8–3– 2011–11विविध /08, दिनांक 04.8.2011 के कम में शामिल किया जा रहा है।
7.	3.5.2.3 'निर्मित', 'विकसित क्षेत्र' तथा नए/अविकसित क्षेत्र में कय-योग्य एफ.ए.आर. की अनुमति शासन द्वारा गठित समिति की संस्तुति के आधार पर देय होगी, जिसमें लोक निर्माण विभाग, जल निगम, जिलाधिकारी, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, अग्निशमन विभाग तथा सम्बन्धित प्राधिकरण/ आवास एवं विकास परिषद के प्रतिनिधि, जो न्यूनतम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के हों, सदस्य होंगे। उक्त समिति मानचित्रों के परीक्षण एवं स्थल निरीक्षणोपरान्त प्रस्तावित भवन के सैट-बैक, स्ट्रक्चरल सेफ्टी,	निर्मित, विकसित क्षेत्र तथा नए/अविकसित क्षेत्र में कय-योग्य एफ.ए.आर. की अनुमति उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण/आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति की संस्तुति के आधार पर देय होगी, जिसमें लोक निर्माण विभाग, जल निगम, जिलाधिकारी, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, अग्निशमन विभाग तथा सम्बन्धित प्राधिकरण/ आवास एवं विकास परिषद के प्रतिनिधि, जो न्यूनतम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के हों, सदस्य होंगे। उक्त समिति मानचित्रों के परीक्षण एवं स्थल

	सुविधाओं आधार प करेगी वि अपेक्षाएं प् एफ.ए.आर समिति व कय-योग	त सुरक्षा, पार्किंग व्यवस्थ के मानकों की निध र अपनी आख्या/संस्तु के कय—योग्य एफ.ए.आ रूणि हो रही हैं अथवा नई र. अनुमन्य किया जा सब की संस्तुति के आधार व एफ.ए.आर. की अनुम ाया जाएगा।	रित चेकलिस्ट के ति बोर्ड को प्रस्तुत र. के सापेक्ष उक्त ती अर्थात् कय—योग्य कता है अथवा नही। पर ही बोर्ड द्वारा	निरीक्षणोपरान्त प्रस्तावित भवन के सैट–बैक, स्ट्रक्चरल सेफ्टी, अग्निशमन सुरक्षा, पार्किंग व्यवस्था तथा अवस्थापना सुविधाओं के मानकों की निर्धारित चेकलिस्ट के आधार पर अपनी आख्या/संस्तुति उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त को प्रस्तुत करेगी कि कय–योग्य एफ.ए.आर. अनुमन्य किया जा सकता है अथवा नही। समिति की संस्तुति के आधार पर ही उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त द्वारा कय–योग्य एफ.ए.आर. की अनुमन्यता के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाएगा। उक्त प्राविधान शासनादेश संख्या 3589/8–3– 2011–11विविध/08, दिनांक 04.8.2011 के कम में शामिल किया जा रहा है।		
8.	3.5.2.4					
		य एफ.ए.आर. शुल्क की ार की जाएगी:–	गणना निम्न पद्धति	कय—योग्य एफ.ए.आर. शुल्क की गणना निम्न फार्मूला के अनुसार की जाएगी:		
		–योग्य एफ.ए.आर. शुल्क कल X भूमि की वर्तमान दर		C= Le x Rc x P C= शुल्क (चार्ज) Le=कय-योग्य एफ.ए.आर. हेतु अनुपातिक भूमि की		
		–योग्य एफ.ए.आर. शुल्व उपयोग के अनुसार गुणांक		आवश्यकता (वर्ग मीटर) i.e. Fp÷FAR Fp= कय-योग्य एफ.ए.आर. के अनुसार अनुमन्य अतिरिक्त		
	क.सं.	भू-उपयोग	गुणांक	तल क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) FAR=महायोजना/भवन उपविधि के अनुसार अनुमन्य तल		
	(1)	वाणिज्यिक	0.50	क्षेत्रफल अनुपात (बेसिक एफ.ए.आर.)		
	(2)	कार्यालय	0.45	Rc=भूमि की दर		
	(3)	ग्रुप हाउसिंग	0.40	नोटः		
	(4)	सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक/ सामुदायिक सुविधाएं	0.20	(I) वाणिज्यिक, कार्यालय/संस्थागत तथा ग्रुप हाउसिंग के प्रकरणों में जहां नीलामी हुई है, वहां नीलामी की दर अथवा प्राधिकरण का वर्तमान सेक्टर रेट, दोनों में जो अधिक हो, के आधार पर गणना की जाएगी। जहां		
	टिप्पणीः भूमि की वर्तमान दर का तात्पर्य जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित भूमि के वर्तमान सर्किल रेट से है।			नीलामी नहीं हुई है तथा प्राधिकरण का सेक्टर रेट, जिलाधिकारी के सर्किल रेट से कम हो, ऐसे प्रकरणों में जिलाधिकारी के वर्तमान सर्किल रेट एवं प्राधिकरण के वर्तमान सेक्टर रेट के योग के 1/2 के आधार पर गणना की जाएगी। परन्तु जहॉ प्राधिकरण का सेक्टर रेट, जिलाधिकारी के सर्किल रेट से अधिक हो, वहॉ प्राधिकरण के वर्तमान सेक्टर रेट के आधार पर ही गणना की जाएगी। (II) सामुदायिक तथा सामाजिक सुविधाएं एवं अवस्थापनाओं के लिए प्राधिकरण का वर्तमान सेक्टर रेट लागू होगा, जहां उक्त रेट उपलब्ध नही है, वहां जिलाधिकारी का वर्तमान सर्किल रेट लागू होगा। P= कय–योग्य एफ.ए.आर. शुल्क की गणना हेतु भू–उपयोग		

				क.सं.	भू-उपयोग श्रेणी	प्रस्तावित गुणांक
				1.	वाणिज्यिक	0.80
				2.	कार्यालय / संस्थागत	0.60
				3.	आवासीय (ग्रुप हाउसिंग)	0.40
				4.	सामुदायिक तथा सामाजिक सुविधाएं एवं अवस्थापनाएं	0.30
9.	13-77-241 के क	म संख्या-1 'षेथिक स्वनि	(iii स्प (i) (11) 20 शा	प्लाटेड भू-उप नही एफ.ए.उ कार्यात प्रकार शामिल शामिल सामुदायि के अ पुलिस केन्द्र, द टीकरणः कय-यो प्राधिक वर्तमान तात्पर्य Appro प्राधिक प्रवत्त 11–11वि मिल किय	डेवलपमेन्ट (आवासीय) योग के लिए कय-योग्य ए है। आवासीय भू-उपयोग आर. केवल ग्रुप हाउसिंग के f लय / संस्थागत भू-उपयोग के के कार्यालय, तकनीकी एवं होंगी। येक तथा सामाजिक सुविधाएं न्तर्गत स्कूल, चिकित्सालय, स्टेशन, फायर स्टेशन, बारा आदि शामिल होंगे। ग्य एफ.ए.आर. शुल्क की ग रण की वर्तमान सेक्टर दर, सार्किल रेट के अन्तर्गत ''व मानचित्र स्वीकृति (Da oval) की तिथि को लागू दर रण के 'वर्तमान सेक्टर रेट' व ये दर' से है। प्राविधान शासनादेश संख्या विध / 08, दिनांक 04.8.20 ा जा रहा है।	फ.ए.आर. अनुमन्य में कय-योग्य लेए अनुमन्य है। हे अन्तर्गत समस्त प्रबन्धन संस्थाए एवं अवस्थापनाओ पोस्ट आफिस तघर/सामुदायिक /जिलाधिकारी बं वर्तमान'' शब्द क ate of Plar र से है। का तात्पर्य 'वर्तमान् [- 3589/8-3- 11 के कम प
	है:		न्यूनतम क्षे			
		मानक				
	ऑगनबाडी	5000 जनसंख्या पर-1	250 वर्ग	माटर		
	यह प्राविधान शास शामिल किया जा रा		/8-1-10-	156 वि	वेध /10, दिनांक 19.08.2	2010 के कम में
10.	होगा।	न शासनादेश संख्या 3272			नक दुकान का क्षेत्रफल विविध⁄10, दिनांक 19.08.	

प्रस्तर-2.4.1 के कम संख्या-5 व्यवसायिक के अन्तर्गत निम्न प्राविधान शाामिल किए जाने का प्रस्ताव है:-11. अनौपचारिक क्षेत्र हेत् 500 व्यक्तियों पर-1 7.5 वर्गमीटर कियास्क / बूथ / चबूतरा (एक सेक्टर में लगभग 50 चब्रतरे नियोजित किये जा सकते हैं) उक्त प्राविधान शासनादेश संख्या 3272 (1) /8- 1- 10-156 विविध /10, दिनांक 19.08.2010 के कम में शामिल किया जा रहा है। प्रस्तर-2.4.1 के कम संख्या-7 के रूप में निम्न प्राविधान शामिल किए जाने का प्रस्ताव है:-12. 500 व्यक्तियों पर-1 150 वर्ग मीटर कुडा एकत्रीकरण स्थल उक्त प्राविधान शासनादेश संख्या 3272 (1)/8- 1-10- 156 विविध /10, दिनांक 19.08.2010 के कम में शामिल किया जा रहा है।

13. उपरोक्त के अतिरिक्त विकास प्राधिकरणों तथा निजी विकासकर्ताओं से प्राप्त अन्य सुझावों के कम में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 में निम्न संशोधन प्रस्तावित हैं:–

(1)	भवन उपविधि के प्रस्तर–1.2.15(X) में ग्रुप हाउसिंग की परिभाषा को निम्न से प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है:–
	"ग्रुप हाउसिंग" के अन्तर्गत समूह या बहुमंजिले भवन, जिसमें प्रत्येक तल पर एक या एक से अधिक स्वतन्त्र आवासीय इकाईयाँ हों तथा जिनमें भूमि एवं सेवाओं, खुले स्थल व आवागमन के रास्ते की भागीदारी एवं सह–स्वामित्व हो, सम्मिलित होंगे।"
(2)	भवन उपविधि के प्रस्तर 1.2.31, 1.2.32 तथा 1.2.33 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है:-
	1.2.31 'निर्मित क्षेत्र' से तात्पर्य विकास क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित ऐसे सघन आबादी क्षेत्र से है, जिसका अधिकांश भाग व्यवसायिक, औद्योगिक, आवासीय अथवा अन्य क्षेत्र के रूप में विकसित हो चुका है तथा जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं यथा—सड़क, जलापूर्ति, सीवरेज, विद्युत आपूर्ति, आदि की व्यवस्था की जा चुकी है और महायोजना के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित क्षेत्र के रूप में सीमांकित किया गया है।
	1.2.32 'विकसित क्षेत्र' का तात्पर्य विकास क्षेत्र के अन्तर्गत आन्तरिक एवं वाह्य विकासयुक्त ऐसे क्षेत्र से है, जहां विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद, निजी विकासकर्ता, सहकारी आवास समिति अथवा किसी अन्य अभिकरण द्वारा समस्त अवस्थापना सुविधाएं यथा–सड़कें, जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत आपूर्ति, पार्क एवं खुले स्थल, आदि का विकास किया जा चुका है।
	1.2.33 'नए/अविकसित क्षेत्र' का तात्पर्य विकास क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित ऐसे क्षेत्र से है, जिसके अर्न्तगत नगरीय विकास से सम्बन्धित अवस्थापना सुविधाएं, सेवाएं एवं भवन, आदि का विकास/निर्माण अभी नही हुआ है।
(3)	भवन उपविधि के प्रस्तर–1.2.45 के रूप में ''टाट–लाट'' की परिभाषा निम्नवत् शामिल किए जाने का प्रस्ताव है:–
	"टॉट–लाट" का तात्पर्य ऐसे पार्क या खेल के मैदान से है, जो आवासीय क्षेत्र में स्थित हों तथा छोटे बच्चों (12 वर्ष से कम आयु) के उपयोगार्थ नियोजित किया गया हो।"

(4)	भवन उपविधि के प्रस्तर–1.2.46 के रूप में ''पार्क एवं खुले स्थल'' की परिभाषा निम्नवत् शामिल किए जाने का प्रस्ताव है:–
	" पार्क एवं खुले स्थल " का तात्पर्य ऐसे स्थल से है, जो खुला तथा अनिर्मित हो या जिसका विन्यास एवं विकास सार्वजनिक पार्क या उद्यान के रूप में किया गया हो।''
(5)	भवन उपविधि के प्रस्तर–1.2.47 के रूप में "ले–आउट प्लान/सब डिवीज़न प्लान/उप–विभाजन तलपट मानचित्र" की परिभाषा निम्नवत् शामिल किए जाने का प्रस्ताव है:–
	"ले-आउट प्लान/सब डिवीज़न प्लान/उप-विभाजन तलपट मानचित्र" का तात्पर्य किसी भूमि अथवा उसके भाग को एक से अधिक भूखण्डों में विकय हेतु अथवा अन्यथा उप-विभाजित किए जाने से है, जिसके अर्न्तगत सड़कों का विन्यास, भूखण्डों के माप सहित सैट-बैक लाइन्स तथा विकास की पद्धति (यथा-रो-हाउसिंग, सेमी-डिटैच्ड, डिटैच्ड, ग्रुप हाउसिंग) दर्शाई गई हो एवं समस्त भूखण्डों के आकार, उपयोग, क्षेत्रफल का विवरण दिया गया हो।"
(6)	भवन उपविधि के प्रस्तर–2.1.2.5(IX) (ग) में यह प्राविधान शामिल किए जाने का प्रस्ताव है कि क्षेत्रीय हाइड्रेज्योलॉजी के अनुरूप रिचार्ज पिट/रिचार्ज शाफट का निर्माण भूगर्भ विभाग, उत्तर प्रदेश के परामर्श के अनुसार किया जाएगा।
(7)	भवन उपविधि के प्रस्तर-2.3.7 को निम्न से प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है:
	''सड़कों के किनारे पर 'ब्रिक–आन–एज' ⁄ लूज़ स्टोन पेवमेन्ट का इस प्रकार प्राविधान किया जाए, ताकि ग्राउण्ड वाटर की अधिक से अधिक रिचार्जिंग सम्भव हो सके और शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।''
(8)	भवन उपविधि के प्रस्तर–2.4 की तालिका के कमांक–1 के अन्तर्गत यह टिप्पणी अंकित किए जाने का प्रस्ताव है कि हाईस्कूल/इण्टर कालेज के अन्तर्गत प्राइमरी एवं नर्सरी स्कूल का प्राविधान समाहित किया जा सकता है, जिसके दृष्टिगत प्रत्येक स्तर के स्कूल के लिए जनसंख्या मानकों के अनुसार पृथक भूखण्ड आरक्षित करना आवश्यक नही होगा।
(9)	भवन उपविधि के प्रस्तर—2.4 की तालिका के कमांक—4 के अन्तर्गत क्लब के निर्माण हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है।
(10)	भवन उपविधि के प्रस्तर-2.4.2 (III) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है:- "जनसंख्या का आंकलन एक आवासीय इकाई हेतु (ग्रुप-हाउसिंग सहित) 5 व्यक्ति के मानक के आधार पर किया जाएगा। भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत 50 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड पर 1 इकाई, 50 से अधिक तथा 200 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड पर 2 इकाइयॉ, 200 से अधिक तथा 300 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड पर 3 इकाइयॉ, 300 से अधिक तथा 500 वर्गमीटर तक के भूखण्ड पर 4 इकाइयॉ अनुमन्य होगी। 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के न्यूनतम 12 मीटर एवं अधिक चौड़ी विद्यमान सड़क पर स्थित भूखण्डों में प्रति 200 वर्ग मीटर पर एक इकाई परन्तु अधिकतम 12 इकाईयॉ अनुमन्य होंगी तथा 4 से अतिरिक्त इकाईयों हेतु उनके कुल तल क्षेत्रफल पर प्राधिकरण के वर्तमान सेक्टर रेट का 10 प्रतिशत शुल्क देय होगा। जहां प्राधिकरण का सेक्टर रेट उपलब्ध न हो, वहां जिलाधिकारी का वर्तमान सर्किल रेट लागू होगा। नियोजित कालोनियों में एक से अधिक भूखण्डों को समेकित (Amalgmate) कर यह सुविधा अनुमन्य नही होगी। भू–आच्छादन एवं एफ.ए.आर. के मानक यथावत् रहेंगे तथा पार्किंग
	के प्राविधान समूह आवास हेतु प्रस्तावित मानकों के अनुसार होंगे।"
(11)	भवन उपविधि के प्रस्तर–2.5 की टिप्पणी (III) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है:– ''समस्त प्रकृति के भवनों की अधिकतम ऊंचाई सड़क की विद्यमान चौड़ाई एवं फंट सैट–बैक के डेढ़ गुना के बराबर होगी, परन्तु भूखण्डीय विकास में स्टिल्ट रहित 10.50 मीटर तथा स्टिल्ट के साथ 12.50

	मीटर	होगी।'		
(12)	है कि (Stan पर बि	उपविधि के प्रस्तर—3.1.2.3 में कमांक (X किसी योजना में विशिष्ट आकार के भूर dard Design) स्वीकृत कराया जा सके ना मानचित्र स्वीकृत कराए स्टैण्डर्ड डिज़ का भुगतान कर दिया जाए।	बण्ड के लिए विकास प्राधिकरण गा और उस योजनान्तर्गत उसी	। से मानक भवन मानचित्र । आकार के अन्य भूखण्डे
(13)	"पु (प्रोहिर्गि किसी	उपविधि के प्रस्तर—3.1.9(I) को निम्नानुस रातत्व विभाग द्वारा घोषित संरक्षित स्म बेटेड एरिया) के अन्दर तथा इसके पश्च भी निर्माण की अनुज्ञा 'दि एनसिएन्ट 1958 के प्राविधानों के अधीन पुरातत्व वि	नारकों / हैरिटेज स्थलों की सी गत 200 मीटर तक के क्षेत्र (रे मान्यूमेन्ट्स एण्ड आर्कियोलॉजिव	मा से 100 मीटर परिधि गुलेटेड एरिया) के क्षेत्र में कल साइट्स एण्ड रिमेन्स
(14)	''नए/ हैक्टेय प्लान, 150 इ (i) ' (ii) '	उपविधि के प्रस्तर—3.3.6 (VI) को निम्ना 'अविकसित क्षेत्रों में ग्रुप हाउसिंग के f र तक निम्न शर्तों के अधीन अनुमन्य / ले—आऊट प्लान अनुमोदित होने की क काई प्रति हेक्टेयर तक घनत्व अनुमन्य ह 12 मीटर एवं अधिक किन्तु 18 मीटर से 18 मीटर एवं अधिक किन्तु 24 मीटर से 24 मीटर एवं अधिक चौड़ी सड़कों पर 33	लेए जनसंख्या घनत्व 330 इक ते होगा, जबकि निर्मित एवं दशा में तद्नुसार घनत्व अनुमन् होगाः— कम चौड़ी सड़क पर 200 इकाई कम चौड़ी सड़क पर 250 इकाई	गईयां (1650 व्यक्ति) प्रति विकसित क्षेत्रों में ज़ोनल व होगा अन्यथा अधिकतम यां प्रति हैक्टेयर।
(15)	मीटर भवन अतिरि ऊंचाई	उपविधि के प्रस्तर—3.4.2, प्रस्तर—3.4.3 (3 मंजिल) निर्धारित है। उक्त प्रस्तरों की अधिकतम ऊंचाई 10.50 मीटर होगी, क्त प्रस्तर—3.4.5 के शीर्षक ''10.50 मीट के भवन' से प्रतिस्थापित किए जाने का न किए जाने का प्रस्ताव है।	में यह स्पष्ट किए जाने का प्र जबकि स्टिल्ट के साथ ऊंचाई र से अधिक ऊंचाई के भवन'' व	स्ताव है कि स्टिल्ट रहित 12.50 मीटर होगी। इसके हो '12.50 मीटर से अधिक
1050425	भवन	उपविधि के प्रस्तर–3.4.6(II) को निम्नानु र के उपार साहद सेन हैक में प्रवेश		प्रस्ताव है:
(16)	लम्बे	मन्य के अपर साइड सट बंक न प्रपश प्रक्षेपित अथवा स्तम्भों पर अवलम्बित प सैट–बैक से आच्छादित भाग के ऊपर f	र्टिको का निर्माण अनुमन्य होग	मीटर चौड़े और 6.0 मीटर 11। पोर्टिको के अन्तर्गत
(16)	लम्बे साइड	प्रक्षेपित अथवा स्तम्भों पर अवलम्बित पे सैट—बैक से आच्छादित भाग के ऊपर f उपविधि के प्रस्तर—3.5.1 की तालिका व	ोर्टिको का निर्माण अनुमन्य होग केसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य	मीटर चौड़े और 6.0 मीटर II। पोर्टिको के अन्तर्गत नहीं होगा।''
	लम्बे साइड भवन प्रस्ताव	प्रक्षेपित अथवा स्तम्भों पर अवलम्बित पे सैट—बैक से आच्छादित भाग के ऊपर f उपविधि के प्रस्तर—3.5.1 की तालिका व	ोर्टिको का निर्माण अनुमन्य होग केसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य	भीटर चौड़े और 6.0 मीटर IT पोर्टिको के अन्तर्गत नहीं होगा ''
2.3	लम्बे साइड भवन प्रस्ताव	प्रक्षेपित अथवा स्तम्भों पर अवलम्बित प सैट—बैक से आच्छादित भाग के ऊपर f उपविधि के प्रस्तर—3.5.1 की तालिका क है:— भूखण्डीय विकास (आवासीय प्लाटेड)	ोर्टिको का निर्माण अनुमन्य होग केसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य	भीटर चौड़े और 6.0 मीटर IT पोर्टिको के अन्तर्गत नहीं होगा ''
5.3	लम्बे साइड भवन प्रस्ताव	प्रक्षेपित अथवा स्तम्भों पर अवलम्बित प सैट–बैक से आच्छादित भाग के ऊपर f उपविधि के प्रस्तर–3.5.1 की तालिका क है:– भूखण्डीय विकास (आवासीय प्लाटेड) (क) निर्मित/विकसित क्षेत्र	र्टिको का निर्माण अनुमन्य होग केसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य के कमांक—1 को निम्नानुसार प्र भू—आच्छादन (प्रतिशत)	मीटर चौड़े और 6.0 मीटर II पोर्टिको के अन्तर्गत नहीं होगा।'' Iतिस्थापित किए जाने का एफ.ए.आर.
	लम्बे साइड भवन प्रस्ताव	प्रक्षेपित अथवा स्तम्भों पर अवलम्बित प सैट—बैक से आच्छादित भाग के ऊपर f उपविधि के प्रस्तर—3.5.1 की तालिका क है:— भूखण्डीय विकास (आवासीय प्लाटेड)	ोर्टिको का निर्माण अनुमन्य होग केसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य के कमांक–1 को निम्नानुसार प्र	मीटर चौड़े और 6.0 मीटर ा। पोर्टिको के अन्तर्गत नहीं होगा।'' ।तिस्थापित किए जाने का

		 501 से 2000 वर्गमीटर तक 	45	1.25
	(ख) नए/अविकसित क्षेत्र		
		100 वर्गमीटर तक	75	2.00
	 101-300 वर्गमीटर तक 		65	1.75
	 301-500 वर्गमीटर तक 		55	1.50
		• 501 से 2000 वर्गमीटर तक	45	1.25
(18)		वविधि के प्रस्तर–3.5.1 की तालिका ने का प्रस्ताव है:–	ा में कमांक—15, 16 एवं 17 के रूप	म में निम्न प्राविधान शामित
			भू–आच्छादन (प्रतिशत)	एफ.ए.आर.
	15.	एम्यूज़मेन्ट पार्क	20	1.0
	16.	स्पोर्टस् काम्पलेक्स	20	0.4
	17.	बस टर्मिनल/आई.एस.बी.टी.	30	1.5
(19)	भवन उप ''20 एक	विधि के प्रस्तर—3.5.6 (II) को निग जड़ तक के व्यवसायिक, समूह आव उखण्डीय भवनों में आच्छादित क्षेत्र	- गस, संस्थागत, कार्यालय, सामुदायि	ोक सुविधाओं उपयोग तथ
(19)	भवन उप "20 एक अन्य बहु से अधिव निकट ग साथ अन् भवन उप "पीछे क	गविधि के प्रस्तर—3.5.6 (II) को निग जुड़ तक के व्यवसायिक, समूह आव खुखण्डीय भवनों में आच्छादित क्षेत्र क क्षेत्रफल की योजनाओं में अधिव ार्ड रूम, जनरेटर रूम, इलैक्ट्रिक तुमन्य होगा कि अग्निशमन सुरक्षा व गविधि के प्रस्तर—3.8.2(II) को निम्न गी तथा पार्श्व की कम्पाउण्ड दीवा	म्नानुसार प्रतिस्थापित किए जाने क IIस, संस्थागत, कार्यालय, सामुदायि का 5 प्रतिशत परन्तु अधिकतम 50 कतम 100 वर्गमीटर अतिरिक्त आ स्वीच रूम, मीटर रूम व ट्यूब वैत की अपेक्षाओं का उल्लंघन न हो।'' नानुसार प्रतिस्थापित किए जाने का रों की ऊंचाई अधिकतम 2.40 मी	वेक सुविधाओं उपयोग तथ) वर्ग मीटर तथा 20 एक च्छादित क्षेत्र प्रवेश द्वार व ल के लिए इस प्रतिबन्ध व प्रस्ताव है:
(20)	भवन उप "20 एक अन्य बहु से अधिव निकट ग साथ अन् भवन उप "पीछे क 0.90 मीत भवन उप "एक एक मल्टी—ले	विधि के प्रस्तर—3.5.6 (II) को निम् जुड तक के व्यवसायिक, समूह आव उखण्डीय भवनों में आच्छादित क्षेत्र क क्षेत्रफल की योजनाओं में अधिव गार्ड रूम, जनरेटर रूम, इलैक्ट्रिक रुमन्य होगा कि अग्निशमन सुरक्षा व विधि के प्रस्तर—3.8.2(II) को निम्न तथा पार्श्व की कम्पाउण्ड दीवा टर ऊपरी भाग जाली/ग्रिलयुक्त ह विधि के प्रस्तर—3.10.10(II) को नि कड़ एवं उससे अधिक क्षेत्रफल की वल पार्किंग ब्लाक बनाया जा सव	म्नानुसार प्रतिस्थापित किए जाने क गस, संस्थागत, कार्यालय, सामुदायि का 5 प्रतिशत परन्तु अधिकतम 50 कतम 100 वर्गमीटर अतिरिक्त आ स्वीच रूम, मीटर रूम व ट्यूब वैत की अपेक्षाओं का उल्लंघन न हो।'' नानुसार प्रतिस्थापित किए जाने का रों की ऊंचाई अधिकतम 2.40 मी होगा।'' नेम्नानुसार प्रतिस्थापित किए जाने क योजनाओं में 5 प्रतिशत अतिरिक्त कता है, जिसकी गणना एफ.ए.आर.	वेक सुविधाओं उपयोग तथ) वर्ग मीटर तथा 20 एक च्छादित क्षेत्र प्रवेश द्वार व ल के लिए इस प्रतिबन्ध व प्रस्ताव है: टर होगी, जिसका न्यूनतन का प्रस्ताव है: त भू-आच्छादन के अन्तर्गत में नहीं की जाएगी, परन
(20)	भवन उप "20 एक अन्य बहु से अधिव निकट ग साथ अन् भवन उप "पीछे क 0.90 मीत भवन उप "एक एव मल्टी—ले भूमि के के मध्य हो, होगी	विधि के प्रस्तर-3.5.6 (II) को निम् जु तक के व्यवसायिक, समूह आव उखण्डीय भवनों में आच्छादित क्षेत्र क क्षेत्रफल की योजनाओं में अधिव ार्ड रूम, जनरेटर रूम, इलैक्ट्रिक तुमन्य होगा कि अग्निशमन सुरक्षा व विधि के प्रस्तर-3.8.2(II) को निम्न ति तथा पार्श्व की कम्पाउण्ड दीवा टर ऊपरी भाग जाली/ग्रिलयुक्त ह विधि के प्रस्तर-3.10.10(II) को नि कड़ एवं उससे अधिक क्षेत्रफल की वल पार्किंग ब्लाक बनाया जा सव ऊपर यदि बहुमंजिला पार्किंग ब्लाव की दूरी उच्चतम ब्लाक की ऊँचा	म्नानुसार प्रतिस्थापित किए जाने क तर्स, संस्थागत, कार्यालय, सामुदायि का 5 प्रतिशत परन्तु अधिकतम 50 कतम 100 वर्गमीटर अतिरिक्त आ स्वीच रूम, मीटर रूम व ट्यूब वैत की अपेक्षाओं का उल्लंघन न हो।'' नानुसार प्रतिस्थापित किए जाने का रों की ऊंचाई अधिकतम 2.40 मी तेगा।'' नेम्नानुसार प्रतिस्थापित किए जाने क योजनाओं में 5 प्रतिशत अतिरिक्त कता है, जिसकी गणना एफ.ए.आर. क पृथक से बनाया जाता है, तो मू ई के एक तिहाई के बराबर अथवा	वेक सुविधाओं उपयोग तथ) वर्ग मीटर तथा 20 एक च्छादित क्षेत्र प्रवेश द्वार व ल के लिए इस प्रतिबन्ध व प्रस्ताव है:– टर होगी, जिसका न्यूनत का प्रस्ताव है:– त भू–आच्छादन के अन्तर्गत में नहीं की जाएगी, परन तूल भवन एवं पार्किंग ब्लाव (6.0 मीटर, जो भी अधिव
	भवन उप "20 एक अन्य बहु से अधिव निकट ग साथ अन् भवन उप "पीछे क 0.90 मीत भवन उप "एक एव मल्टी-ले भूमि के के मध्य हो, होगी भवन उप	विधि के प्रस्तर-3.5.6 (II) को निम् जु तक के व्यवसायिक, समूह आव उखण्डीय भवनों में आच्छादित क्षेत्र क क्षेत्रफल की योजनाओं में अधिव ार्ड रूम, जनरेटर रूम, इलैक्ट्रिक तुमन्य होगा कि अग्निशमन सुरक्षा व विधि के प्रस्तर-3.8.2(II) को निम् तिथा पार्श्व की कम्पाउण्ड दीवा टर ऊपरी भाग जाली/ग्रिलयुक्त ह विधि के प्रस्तर-3.10.10(II) को नि कड़ एवं उससे अधिक क्षेत्रफल की विल पार्किंग ब्लाक बनाया जा सब ऊपर यदि बहुमंजिला पार्किंग ब्लाव की दूरी उच्चतम ब्लाक की ऊँचा वीधि के प्रस्तर-4.1 की टिप्पणी (प्र के प्राविधान प्रस्तर-3.9 के अनुसा	म्नानुसार प्रतिस्थापित किए जाने क IRE, संस्थागत, कार्यालय, सामुदायि का 5 प्रतिशत परन्तु अधिकतम 50 कतम 100 वर्गमीटर अतिरिक्त आ स्वीच रूम, मीटर रूम व ट्यूब वैत की अपेक्षाओं का उल्लंघन न हो।" नानुसार प्रतिस्थापित किए जाने का रों की ऊंचाई अधिकतम 2.40 मी तेगा।" नेम्नानुसार प्रतिस्थापित किए जाने क योजनाओं में 5 प्रतिशत अतिरिक्त कता है, जिसकी गणना एफ.ए.आर. क पृथक से बनाया जाता है, तो मृ ई के एक तिहाई के बराबर अथवा VI) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किए IR होंगे।"	क सुविधाओं उपयोग तथ) वर्ग मीटर तथा 20 एक व्छादित क्षेत्र प्रवेश द्वार व न के लिए इस प्रतिबन्ध व प्रस्ताव है: टर होगी, जिसका न्यूनतग का प्रस्ताव है: त भू-आच्छादन के अन्तर्गत में नहीं की जाएगी, परन तूल भवन एवं पार्किंग ब्लाव (6.0 मीटर, जो भी अधिव जाने का प्रस्ताव है:
(20)	भवन उप "20 एक अन्य बहु से अधिव निकट ग साथ अन् भवन उप "पीछे क 0.90 मीत भवन उप "एक एव मल्टी—ले भूमि के के मध्य हो, होगी भवन उप "बेसमेन्ट भवन उप	विधि के प्रस्तर—3.5.6 (II) को निम् जुड तक के व्यवसायिक, समूह आव उखण्डीय भवनों में आच्छादित क्षेत्र क क्षेत्रफल की योजनाओं में अधिव ार्ड रूम, जनरेटर रूम, इलैक्ट्रिक तुमन्य होगा कि अग्निशमन सुरक्षा व विधि के प्रस्तर—3.8.2(II) को निम् तिथा पार्श्व की कम्पाउण्ड दीवा टर ऊपरी भाग जाली / ग्रिलयुक्त ह विधि के प्रस्तर—3.10.10(II) को नि कड़ एवं उससे अधिक क्षेत्रफल की वल पार्किंग ब्लाक बनाया जा सब ऊपर यदि बहुमंजिला पार्किंग ब्लाव की दूरी उच्चतम ब्लाक की ऊँचा ा"	म्नानुसार प्रतिस्थापित किए जाने क IR, संस्थागत, कार्यालय, सामुदायि का 5 प्रतिशत परन्तु अधिकतम 50 कतम 100 वर्गमीटर अतिरिक्त आ स्वीच रूम, मीटर रूम व ट्यूब वैत की अपेक्षाओं का उल्लंघन न हो।'' नानुसार प्रतिस्थापित किए जाने का रों की ऊंचाई अधिकतम 2.40 मी तेगा।'' नेम्नानुसार प्रतिस्थापित किए जाने च ' योजनाओं में 5 प्रतिशत अतिरिक्त कता है, जिसकी गणना एफ.ए.आर. क पृथक से बनाया जाता है, तो मू ई के एक तिहाई के बराबर अथवा VI) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किए IR होंगे।'' ग हेतु अपेक्षाएं' के प्रस्तर–5.3 (I)	वेक सुविधाओं उपयोग तथ) वर्ग मीटर तथा 20 एक च्छादित क्षेत्र प्रवेश द्वार व ल के लिए इस प्रतिबन्ध व प्रस्ताव है: टर होगी, जिसका न्यूनत का प्रस्ताव है: त भू-आच्छादन के अन्तर्गत में नहीं की जाएगी, परन तूल भवन एवं पार्किंग ब्लाव (6.0 मीटर, जो भी अधिव जाने का प्रस्ताव है:

	आवश्यक नही होगा, परन्तु ग्रुप हाउसिंग एवं बहुमंजिले भवनों हेतु आर.डब्लू.ए. की अनापत्ति/सहमति अनिवार्य होगी।''
(25)	भवन उपविधि के अध्याय—19 के शीर्षक 'अतिथि गृह के निर्माण हेतु अपेक्षाएं' को 'अतिथि गृह, पेइंग गेस्ट एवं हॉस्टल के निर्माण हेतु अपेक्षाएं' से प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या 1047/8–3–08–73विविध/07, दिनांक 07.3.2008 के अधीन गाज़ियाबाद विकास क्षेत्र हेतु आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत अतिथि गृह के साथ—साथ 'पेइंग गेस्ट एकमोडेशन' के लिए निर्धारित उपविधि को अध्याय—19 में शामिल किए जाने तथा 'हॉस्टल' के निर्माण हेतु निम्न प्राविधान शामिल किए जाने का प्रस्ताव है:—
	 (I) भूखण्ड का न्यूनतम आकार 300 वर्गमीटर होगा, जो न्यूनतम 12.0 मीटर चौड़ी विद्यमान सड़क पर स्थित होना चाहिए।
	(II) भू–आच्छादन एवं एफ.ए.आर. के मानक समतुल्य क्षेत्रफल के आवासीय भूखण्ड के लिए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में निर्धारित मानकों के अनुसार होंगे।
	(III) कमरों की अधिकतम संख्या 15 होगी।
	(IV) पार्किंग हेतु 100 वर्गमीटर तल क्षेत्रफल पर 1.0 समान कार स्थल की व्यवस्था करनी होगी।
(26)	अधिसूचना संख्या 5899/8–3–09–214विविध/09, दिनांक 14 जनवरी, 2010 के माध्यम से जारी ''दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग तथा अन्य आय वर्गों हेतु अफोर्डेबल हाउसिंग के मानक'' सम्बन्धी प्राविधान अध्याय–24 के रूप में शामिल किए गए हैं। उक्त अधिसूचना में इंगित विरोधाभास का निराकरण करने हेतु अधिसूचना के प्रस्तर–15.1 की तालिका के कम संख्या–3 तथा टिप्पणी के कमांक (3) को 'डिलीट' किए जाने का प्रस्ताव है।
(27)	भवन उपविधि के अध्याय–24 के प्रस्तर–24.1.1 की तालिका के कमांक (ग) के अन्तर्गत एल.आई.जी. श्रेणी हेतु निर्धारित पार्किंग व्यवस्था को निम्नवत् संशोधित करने का प्रस्ताव है:–
	''मेट्रो नगरों हेतु प्रत्येक 3 इकाईयों पर 1 समान कार स्थल तथा अन्य नगरों में प्रत्येक 4 इकाइयों पर 1 समान कार स्थल, जिसका क्षेत्रफल 13.75 वर्गमीटर होगा।''
(28)	अध्याय–24 के अन्तर्गत ''दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग हाउसिंग के मानकों का पुनरीक्षण शासन के विचाराधीन है, जो सक्षम स्तर से जारी होने के उपरान्त तत्सीमा तक संशोधित समझे जाएंगे।
(29)	हैरिटेज, पर्यटन एवं धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल जो होटल के विकास की दृष्टि से 'पोटेन्शियल' हों परन्तु वहां न्यूनतम 18 मीटर चौड़े पहुंच मार्ग की व्यवस्था उपलब्ध कराया जाना व्यवहारिक न हो, को प्राधिकरण द्वारा बोर्ड स्तर से चिन्हित कर आस—पास निकटवर्ती क्षेत्र में पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत 'एप्रोच रोड' की न्यूनतम चौड़ाई में शिथिलता प्रदान करते हुए बजट होटल तथा गेस्ट हाउस/पेइंग गेस्ट हाउस की अनुज्ञा प्रदान की जा सकेगी।

संलग्नकः अध्याय–23, 24 एवं 25



सर्विस अपार्टमेन्ट्स हेतु अपेक्षाएं

23.1	अनुमन्यता		सर्विस अपार्टमेन्ट्स की अनुमति व्यवसायिक, होटल तथा कार्यालय/ संस्थागत भू–उपयोगों/भवनों में देय होगी।			
23.2	प्रयोजन	बनाने	सर्विस अपार्टमेन्ट्स पूर्णतया सुसज्जित एवं 'सेल्फ कन्टेन्ड अपार्टमेन्ट्स' होंगे, जिसमें भोजन बनाने की सुविधा (किचन⁄रसोईघर) होगी तथा जो अल्प अवधि की रिहायश के लिये उपयोग में लाये जायेंगे।			
23.3	अन्य अपेक्षाएं	(I)	होटल एवं कार्यालय/संस्थागत भवनो में कुल अनुमन्य एफ.ए.आर. का अधिकतम 20 प्रतिशत सर्विस अपार्टमेन्ट्स के लिए प्रयोग किया जा सकता है।			
		(11)	व्यवसायिक भू–उपयोग के अन्तर्गत पृथक रूप से सर्विस अपार्टमेन्ट्स बनाए जा सकते हैं, जिनके लिए व्यवसायिक भू–उपयोग में निर्धारित भू–आच्छादन एवं एफ.ए. आर. अनुमन्य होगा।			
		(111)	पृथक रूप से नियोजित किये जाने वाले सर्विस अपार्टमेन्ट्स के अन्तर्गत कुल तल क्षेत्रफल का अधिकतम 20 प्रतिशत क्षेत्रफल कार्यालय, कान्ग्रेन्स सुविधाएं, गेस्ट रूम तथा रिटेल एवं सर्विस शाप्स हेतु उपयोग में लाया जा सकता है।			

अध्याय—24

दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग तथा अन्य आय वर्गों हेतु अफोर्डेबल हाउसिंग के मानक

24.1 ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. की पात्रता

ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. की पात्रता मासिक आय सीमा के आधार पर निर्धारित की जाएगी, जो राज्य/ केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप होगी।

24.1.1 क्षेत्रफल / प्लिन्थ एरिया, डेन्सिटी, भू–आच्छादन एवं एफ.ए.आर. तथा पार्किंग के मानक

क.सं.	अपेक्षाएं	प्रस्ताविक मानक	
		ई.डब्लू.एस.	एल.आई.जी.
(क)	प्लॉटेड डेवलपमेन्ट		
89.00	• भूखण्ड का क्षेत्रफल	25 से 40 वर्गमीटर	41 से 60 वर्गमीटर
	• डेन्सिटी	250 इकाईयां प्रति हेक्टेयर/ 1250 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर	150 इकाईयां प्रति हेक्टेयर / 750 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर
	• अधिकतम भू–आच्छादन	75 प्रतिशत	75 प्रतिशत
	• एफ.ए.आर.	2.0	2.0
(ख)	ग्रुप हाउसिंग		
	• प्लिंथ एरिया	20 से 35 वर्गमीटर	36 से 45 वर्गमीटर
	• डेन्सिटी	650 इकाईयां प्रति हेक्टेयर/ 3250 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर	500 इकाईयां प्रति हेक्टेयर / 2500 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर
	• अधिकतम भू–आच्छादन	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
	• एफ.ए.आर.	2.0	2.0
(ग)	पार्किंग व्यवस्था	मोटर साईकल/स्कूटर/ साईकल हेतु प्रत्येक इकाई पर 2.0 वर्गमीटर क्षेत्रफल	"मेट्रो नगरों हेतु प्रत्येक 3 इकाईयों पर 1 समान कार स्थल तथा अन्य नगरों में प्रत्येक 4 इकाईयों पर 01 'समान कार स्थल', जिसका क्षेत्रफल13.75 वर्गमीटर होगा।

- टिप्पणीः—(I) शासकीय अभिकरणों तथा निजी क्षेत्र द्वारा प्रस्तावित 10 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं में निर्मित की जाने वाली कुल आवासीय इकाईयों का न्यूनतम 10 प्रतिशत ई.डब्लू.एस. एवं 10 प्रतिशत एल.आई.जी (कुल 20 प्रतिशत) इकाइयां 'कास– सब्सिडाइज़ेशन' के माध्यम से निर्मित की जाएंगी।
 - (II) किसी निजी विकासकर्ता द्वारा अपनी योजनान्तर्गत उपरोक्त मानकों के अनुसार ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. आवासों का निर्माण करने पर ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. के आवासों की डेन्सिटी एवं एफ.ए.आर. को उस योजना की डेन्सिटी एवं एफ.ए. आर. की गणना में शामिल नही किया जाएगा।
 - (III) अधिसूचना संख्याः 5136/8-3-2008-11विविध/08, दिनांक 25.9.08 तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अन्तर्गत प्लॉटेड डेवलपमेन्ट के लिए निर्धारित अधिकतम 750 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर और ग्रुप हाउसिंग के लिए 200 इकाईयां प्रति हेक्टेयर/1000 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर डेन्सिटी की सीमा ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. हाउसिंग में लागू नही होगी।
 - (IV) भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार निर्मित/विकसित क्षेत्र में ग्रुप हाउसिंग के लिए बेसिक एफ.ए.आर. 1.5 अनुमन्य है। परन्तु ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी के लिए 2.0 एफ.ए.आर. अनुमन्य होगा और बेसिक से अतिरिक्त एफ.ए.आर. के लिए सिटी डेवलपमेन्ट चार्ज देय नही होगा।

2.4.1.2 योजना का नियाजन एवं अभिकल्पन

- 24.1.2.1 विकास कार्यों की लागत कम करने एवं भूमि का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु 'मॉड्यूलर क्लस्टर डिज़ाइन' एवं बहुमंजिले निर्माण (सामान्यत: ग्राउण्ड + 3) को प्राथमिकता दी जाएगी।
- 24.1.2.2 भवन मानचित्र इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि भूखण्ड के सीमित क्षेत्रफल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो सके, उसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन सरलीकृत हो और दीवारों की लम्बाई न्यूनतम हो, ताकि भवन की लागत को कम किया जा सके।
- 24.1.2.3 आवास एवं रोज़गार की सम्बद्धता सुनिश्चित करने हेतु आवास का प्राविधान यथासम्भव कार्य–केन्द्रों के समीप किया जाएगा।

24.1.3 सड़कें एवं 'पाथ-वे'

- 24.1.3.1 जहां मोटर वाहनों का आवागमन आवश्यक हो, ऐसे मार्गों का न्यूनतम 'राइट–ऑफ–वे' 6.0 मीटर होगा।
- 24.1.3.2 पेडेस्ट्रियन सर्कुलेशन होने पर 'पाथ—वे' की न्यूनतम चौड़ाई 4.5 मीटर होगी, परन्तु 'पाथ—वे' के एक ओर भूखण्ड तथा दूसरी ओर खुला स्थान होने पर न्यूनतम चौड़ाई 3.0 मीटर हो सकती है। 3.0 मीटर चौड़े 'पाथ—वे' की अधिकतम लम्बाई 50 मीटर तथा 4.5 मीटर चौड़े 'पाथ—वे' की अधिकतम लम्बाई 80 मीटर होगी।
- 24.1.3.3 कोई भी आवासीय इकाई 9.0 मीटर चौड़े मार्ग से 200 मीटर से अधिक दूरी पर नही होगी।

24.1.4 अवस्थापना विकास

- 24.1.4.1 प्रत्येक आवासीय इकाई में एक जल संयोजन तथा वाटरसील शौचालय का प्राविधान किया जाएगा। लाभार्थियों की आर्थिक क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए कतिपय अवस्थापना सुविधाएं यथा–स्टैण्ड पोस्ट, शौचालय, आदि सामूहिक रूप से प्राविधानित की जा सकती हैं।
- 24.1.4.2 प्रकाश व्यवस्था हेतु अपाराम्परिक ऊर्जा स्रोतों यथा—सौर ऊर्जा एवं बायोगैस को प्रोत्साहित किया जाएगा।

24.1.5 भवन का अभिकल्पन एवं निर्माण हेतु अपेक्षाएं

- 24.1.5.1एक कमरे की इकाई में कमरे का न्यूनतम क्षेत्रफल 12.50 वर्ग मीटर होगा, जबकि 2 कमरों की इकाई में पहले कमरे का न्यूनतम क्षेत्रफल 9.00 वर्ग मीटर एवं उसकी न्यूनतम चौड़ाई 2. 5 मीटर होगी तथा दूसरे कमरे का न्यूनतम क्षेत्रफल 6.50 वर्ग मीटर एवं उसकी न्यूनतम चौड़ाई 2.10 मीटर होगी। दोनों कमरों का संयुक्त क्षेत्रफल 15.50 वर्ग मीटर से कम नही होगा।
- 24.1.5.2 पृथक शौचालय का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.90 वर्ग मीटर एवं उसकी न्यूनतम चौड़ाई 0.90 मीटर होगी। बाथरूम का क्षेत्रफल 1.20 वर्ग मीटर एवं न्यूनतम चौड़ाई 1.00 मीटर होगी, जबकि संयुक्त बाथरूम एवं शौचालय का कुल क्षेत्रफल 1.80 वर्ग मीटर एवं न्यूनतम चौड़ाई 1.0 मीटर होगी।
- 24.1.5.3 रसोई / कुकिंग स्पेस का न्यूनतम क्षेत्रफल 2.4 वर्ग मीटर एवं उसकी न्यूनतम चौड़ाई 1.20 मीटर होगी। दो कमरों की इकाई में पृथक रसोई का न्यूनतम क्षेत्रफल 3.30 वर्ग मीटर एवं उसकी न्यूनतम चौड़ाई 1.5 मीटर होगी।

- 24.1.5.4 बॉलकनी की न्यूनतम चौड़ाई 0.90 मीटर एवं अधिकतम चौड़ाई 1.20 मीटर होगी और बॉलकनी को भुखण्ड की सीमा के बाहर सडक अथवा रास्ते पर प्रक्षेपित नही किया जाएगा।
- 24.1.5.5 आवासीय कमरे तथा रसोई की न्यूनतम ऊँचाई 2.60 मीटर, बाथरूम/शौचालय तथा कॉरीडोर की न्यूनतम ऊँचाई 2.10 मीटर होगी।
- 24.1.5.6 ज़ीने की न्यूनतम चौड़ाई दो मॅजिले भवन में सीधा ज़ीना होने पर न्यूनतम 0.60 मीटर, घुमावदार होने पर 0.75 मीटर होगी, जबकि 3 अथवा अधिक मंजिले भवन में सीधे ज़ीने की न्यूनतम चौड़ाई 0.75 मीटर और घुमावदार ज़ीने की न्यूनतम चौड़ाई 0.90 मीटर होगी। 'राइज़र' अधिकतम 200 मिलीमीटर तथा 'ट्रेड' 2 मंजिले भवन में न्यूनतम 225 मिलीमीटर और 3 मॅजिल और अधिक भवन में न्यूनतम 250 मिलीमीटर होगा।

24.1.6 अन्य अपेक्षाएं

24.1.6.1 भवन की अग्नि से सुरक्षा व्यवस्था, संरचनात्मक सुरक्षा हेतु स्ट्रक्चरल डिज़ाइन तथा बिल्डिंग एवं प्लम्बिंग सर्विसेज नेशनल बिल्डिंग कोड, 2005 के अनुसार होगी।

24.1.7 क्लस्टर प्लानिंग के लिए मानक

'क्लस्टर' का तात्पर्य खुले क्षेत्र के चारों ओर समूह के रूप में नियोजित भूखण्डों/आवासीय इकाईयों से है। क्लस्टर के रूप में निर्मित किए जाने वाले आवासों के नियोजन एवं भवन निर्माण सम्बन्धी अपेक्षाएं निम्न्वत होंगी:--

- 24.1.7.1 भूखण्ड का न्यूनतम आकार 15 वर्ग मीटर होगा, 15–25 वर्ग मीटर के भूखण्डों हेतु भू–आच्छादन 100 प्रतिशत एवं एफ.ए.आर. 2.0 अनुमन्य होगा।
- 24.1.7.2 भूखण्ड का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर से अधिक होने पर भू–आच्छादन 75 प्रतिशत एवं एफ.ए.आर. 2.0 अनुमन्य होगा।
- 24.1.7.3 एक क्लस्टर में अधिकतम 20 इकाईयां नियोजित की जाएंगी।
- 24.1.7.4 क्लस्टर प्लानिंग के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग भवन की अधिकतम ऊँचाई 15.0 मीटर होगी।
- 24.1.7.5 क्लस्टर ओपन स्पेस का न्यूनतम क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर होगा, जिसकी न्यूनतम चौड़ाई 6.0 मीटर होगी अथवा क्लस्टर ओपन स्पेस के साथ स्थित भवनों की ऊँचाई के आधे, दोनों में जो अधिक हो, से कम नही होगी।
- 24.1.7.6 क्लस्टर के चारों ओर स्थित पैदल मार्ग/सड़कों से किसी सेट-बैक के प्राविधान की आवश्यकता नही होगी।
- 24.1.7.7 क्लस्टर तक पहुँचने के लिए न्यूनतम 'राइट–ऑफ–वे' 6.0 मीटर होगा, जबकि फुटपाथ की न्यूनतम चौड़ाई 3.0 मीटर होगी।
- 24.1.7.8 क्लस्टर हाऊसिंग में ई.डब्लू.एस. के लिए सामूहिक शौचालय का प्राविधान किए जाने की दशा में 3 परिवारों हेतु 01 शौचालय, 01 बाथरूम तथा धुलाई हेतु 01 स्थान की व्यवस्था की जा सकती है।
- 24.1.7.9 भवन निर्माण की अन्य अपेक्षाएं तथा अग्निशमन, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, बिल्डिंग सर्विसेज एवं प्लम्बिंग सर्विसेज की व्यवस्था नेशनल बिल्डिंग कोड, 2005 के प्राविधानों के अनुसार की जानी होगी।
 - टिप्पणी: भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 के प्राविधान उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाएंगे तथा ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. हाउसिंग से सम्बन्धित जो प्राविधान उपरोक्त मानकों में शामिल नही हैं, के सम्बन्ध में एन.बी.सी.–2005 और आई.एस. /बी.आई.एस. के प्राविधानों का अनुपालन किया जाएगा।

24.1.8 निर्माण सामग्री एवं विशिष्टियां

- 24.1.8.1 ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. के भवन निर्माण में पर्यावरण के दृष्टिकोण से सुस्थिर निर्माण सामग्री यथा—फ्लाई ऐश, कृषि तथा औद्योगिक अपशिष्ट से निर्मित कम लागत की एवं स्थानीय भवन निर्माण सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- 24.1.8.2 भवन निर्माण की विशिष्टियां यथासम्भव संलग्नक-1 के अनुसार रखी जाएंगी।
- 24.1.8.3 'प्री—फैब्रीकेटेड' तकनीक द्वारा भवन निर्माण हेतु मानक एवं विशिष्टियां संलग्नक—2 के अनुसार रखी जाएंगी।

24.1.9 भवनों की लागत

- 24.1.9.1 विकास प्राधिकरणों, आवास एवं विकास परिषद तथा निजी क्षेत्र द्वारा प्रस्तावित योजनाओं में ई.डब्लू. एस. एवं एल.आई.जी. भवनों की लागत का अनुमोदन शासन द्वारा गठित समिति की संस्तुति के आधार पर किया जाएगा।
- 24.1.9.2 निजी विकासकर्ता द्वारा यदि केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लिया जाता है, तो उन योजनाओं के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं एवं अन्य अतिरिक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

24.1.10 अन्य योजनाओं से 'डव-टेलिंग'

आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा दुर्बल एवं अल्प आय वर्गों की आवासीय योजनाओं में विभिन्न विभागों यथा–आवास एवं शहरी नियोजन, नगर विकास, नगरीय रोज़गार एवं गरीबी उन्मूलन/सूडा, समाज कल्याण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, गृह विभाग, लोक निर्माण विभाग, आदि के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि तथा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की 'डव–टेलिंग' सुनिश्चित की जाएगी, ताकि विभिन्न विभागों के वित्तीय संसाधनों का समेकित उपयोग सुनिश्चित हो सके।

24.1.11 आर्थिक क्षमतानुसार आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग) के लिए मानकों का निर्धारणः

24.1.11.1 नगरीय जनसंख्या में हो रही तीव्र वृद्धि के सापेक्ष आवास की मॉग को पूरा करने हेतु 'अफोर्डेबल हाउसिंग' को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। इस कम में यद्यपि शासन द्वारा गत वर्ष डेन्सिटी एवं एफ.ए.आर. के मानकों में वृद्धि की गई है, परन्तु नगरीयकरण के निरन्तर बढ़ रहे दवाब के दृष्टिगत दुर्लम शहरी भूमि का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने एवं भवन निर्माण की निरन्तर बढ़ रही लागतों को समाज के विभिन्न वर्गों की आर्थिक क्षमता के अन्तर्गत लाने हेतु एक अनुकूल नियामक वातावरण का सृजन आवश्यक है। उक्त के दृष्टिगत ऐसे परिवार जो ई.डब्लू.एस. अथवा एल.आई.जी. की पात्रता हेतु निर्धारित आय सीमा एवं भवन की कास्ट–सीलिंग, आदि की शर्तों को पूर्ण नही करते हैं, के लिए सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्र के माध्यम से अफोर्डेबल हाउसिंग कं निर्माण हेतु निर्मानुसार मानक निर्धारित किए जाते हैं:--

क.सं.	अपेक्षाएं	प्रस्तावित मानक
1.	प्लाटेड डेवलपमेंट	
	• भूखण्ड का क्षेत्रफल	50 से 150 वर्ग मीटर
	• डेन्सिटी	अधिकतम 100 इकाईयॉ प्रति हेक्टेयर /500 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर
	• अधिकतम भू–आच्छान	७० प्रतिशत
	• एफ.ए.आर.	2.0
2.	ग्रुप हाउसिंग	
	• प्लिन्ध एरिया	40 से 110 वर्ग मीटर

	• डेन्सिटी	अधिकतम 350 इकाईयॉ प्रति हेक्टेयर / 1750 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर
	• अधिकतम भू–आच्छादन	45 प्रतिशत
	• एफ.ए.आर.	1.75
3.	पार्किंग व्यवस्था	
	 50 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल की इकाई हेतु 	मोटर साईकिल/स्कूटर/साईकल हेतु प्रत्येक इकाई पर 2.0 वर्ग मीटर क्षेत्रफल होगा।
	 50–75 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की इकाई हेतु 	प्रत्येक 2 इकाईयों पर 01 'समान कार स्थल', जिसका क्षेत्रफल 13.75 वर्ग मीटर होगा।
	 75 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल की इकाई हेतु 	प्रत्येक इकाई पर 02 'समान कार स्थल'।

टिप्पणीः

- (1) ग्रुप हाउसिंग के लिए नियमानुसार कय—योग्य एफ.ए.आर. अनुमन्य होगा, जिसके सापेक्ष समानुपातिक इकाईयॉ अनुमन्य होगी, जो प्रचलित घनत्व मानकों के अतिरिक्त होंगी।
- (2) प्लाटेड डेवलपमेंट के लिए निर्धारित अधिकतम 750 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर और ग्रुप हाउसिंग के लिए 200 इकाईयॉ प्रति हेक्टेयर/1000 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर डेन्सिटी की सीमा अफोर्डेबल हाउसिंग में लागू नही होगी।
- (3) अफोर्डेबल हाउसिंग के नियोजन एवं अभिकल्पन में उपरोक्त मानकों के साथ-साथ भवन निर्माण एवं विकास उपविधि का अनुपालन आवश्यक होगा। जो प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में शामिल नहीं हैं, के सम्बन्ध में एन. बी.सी., 2005 तथा आई.एस. तथा बी.आई.एस. के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

संलग्नक–1

Specifications for EWS & LIG Housing

1. Structure			
(a)	Ground plus three	 Stepped footing in brick masonry for sub- structure. Preferably Rat Trap Bond in bricks for wall masonry. RCC lintel band and roof level band for earthquake resistance. 	
(b)	Above Ground plus three	 RCC framed structure. Preferably Rat Trap Bond in bricks for wall masonry. 	
2. Roof/Floor		 Reinforced Brick Slab or Pre-cast Reinforced Brick Panel for roofing placed over partially pre-cast RCC Joists with screed. CC flooring. 	
3. Doors/Windows		 For main entrance 35 mm thick flush doo with 35x35x5 MS Angle Iron Frame. T&Z Section window with glass panes. 	
4. F	Finishing	 Internal plastering. External walls exposed finish with ordinary colour wash. Enamel painting on doors/windows. 	

Note: Above specifications are recommendatory.

संलग्नक–2

प्री-फैब्रीकेटेड तकनीक से ई.डब्लू.एस. भवन निर्माण हेतु मानक

- प्री-फैब्रीकेटेड तकनीक से दुर्बल आय वर्ग के भवनों का निर्माण यदि एक मंजिले भवन (रो-हाउसिंग) के रूप में किया जाता है, उस स्थिति में भूखण्ड का क्षेत्रफल लगभग 26 वर्ग मीटर होगा तथा इसमें निर्मित क्षेत्रफल लगभग 17 वर्ग मीटर होगा, जिसमें एक लिविंग रूम, किचन/पैन्ट्री व शौचालय का प्राविधान होगा। लिविंग रूम का साइज़ लगभग 140 से 150 वर्ग फीट तक होगा, यथासम्भव इस कमरे के क्षेत्रफल में ही किचन/पैन्ट्री का प्राविधान किया जाएगा।
- 2. इस प्रकार के एक मंजिला भवनों में स्लैब (लिविंग रूम, किचन/पैन्ट्री व शौचालय की स्लैब) व लिन्टल, प्रीफैब्रीकेटेड/प्रीस्ट्रेस्ड होंगे, इन्हें अलग कास्टिंग यार्ड में कास्टिंग करने के उपरान्त केन से उठाकर (लिएट करके) भवनों के ऊपर रख दिया जाएगा। स्लैब की कास्टिंग करते समय स्लैब के चारों कोनों पर चार स्टील रिंग्स भी कॉस्ट कर दिए जाएंगे, ताकि प्रीफैब्रीकेटेड स्लैब, केन से सुगमता से उठ सके।
- 3. एक मंजिला भवनों के निर्माण में स्लैब व लिन्टल के अतिरिक्त, दीवारों का निर्माण कार्य कन्वेन्शनल पद्धति से, ब्रिकवर्क की दीवारों के रूप में किया जाएगा तथा लिविंग रूम, किचन/पैन्ट्री व शौचालय में एक इन्च मोटे सीमेन्ट कंकीट के फर्श का भी प्राविधान किया जाएगा।
- एक मंजिला भवनों में कमरे की सीलिंग हाईट लगभग 9 फीट होगी व शौचालय की स्लैब हाईट 7.5 फीट होगी।
- इन भवनों के जनरल स्पेसीफिकेशन्स संलग्न हैं, जिनमें विस्तृत विवरण दर्शित है कि भवन में किन–किन सुविधाओं का प्राविधान किया जाएगा।
- 6. यदि एक मंजिले भवन के स्थान पर क्लस्टर हाउसिंग/बहुमंजिले भवनों का निर्माण किया जाता है, तो कालम, बीम, लिन्टल व स्लैब, प्रीफैब्रीकेटेड/प्रीस्ट्रेस्ड स्ट्रक्चचरर्स के रूप में कॉस्टिंग यार्ड में कॉस्ट करने के उपरान्त प्रयोग की जाएंगी। दीवारें, इत्यादि कन्वेशनल निर्माण पद्धति के अनुसार ब्रिकवर्क की निर्मित की जा सकती हैं।
- 7. क्लॅस्टर हाउसिंग / बहुमंजिले भवनों में प्रथम तल व उसके ऊपर के तलों में सीमेन्ट कंकीट की फलोरिंग देने की आवश्यकता नही होगी, क्योंकि प्रीफैब्रीकेटेड स्लैब ही फर्श के रूप में उपयोग की जा सकेगी।

संलग्नकः जनरल स्पेसीफिकेशन्स

General Specifications

Slab: Slab of Room, Kitchen and Toilet will be prefabricated & pre-stressed.

Walls: All the walls will be 9"/41/2" thick Brickwork walls and shall be plastered inside and outside both with 1:6 Cement and fine sand mortar.

Finishing Items:

I) Flooring:

- (a) Room: Average 25 mm thick CC flooring.
- (b) Kitchen: Average 25 mm thick CC flooring.
- (c) Bath-room: Average 25 mm thick CC flooring.
- (d) W.C.: Average 25 mm thick CC flooring.

II) Doors, Windows and Ventilators:

- (a) Door: For main entrance 35 mm thick flush door with 35x35x5 MS angle Iron frame along with 2 Nos. tower bolts of length 6" or 9" as suitable with 2 Nos. handles and 1 No 12" MS aldrop.
- (b) Toilet door will be of flush door panels with angle Iron frame along with 2 Nos. tower bolts and 2 Nos. handles.
- (c) Windows: All windows will be T & Z section.

III) Painting:

- (a) Inside, the unit for wall and ceiling: Two coat white wash for wall and ceiling.
- (b) Outside: Two coat of ordinary colour wash for walls.
- (c) Door and Window frame: Door, window frame should be with one coat primer and one coat of oil paint.

IV) Dado

- (a) For toilet 450 mm dado with cement punning.
- (b) For kitchen 150 mm dado with cement punning.
- (c) W.C.- 450 mm high dado in cement punning.

V) Plumbering & Sanitary:

- (a) WC: Indian type of 18" ceramic/mosaic.
- (b) Two number 1/2" PVC tap of good quality in the toilet.
- (c) One number 1/2" PVC tap of good quality in the kitchen.
- (d) Soil line, waste water line should be of 4" dia PVC Pipe of 4 Kg/Sq.cm. pressure.
- (e) 4" dia PVC nahani trap with jalli one in toilet & one in kitchen.
- (f) Heavy duty PVC solvent pipe for all water line.

VI) Electrification:

One number fan-hook and PVC conduit pipe in slab.

VII) Pre-cast Kitchen platform of size 450 mm x 1000 mm to be provided in the kitchen.

अध्याय–25

प्राधिकरण के सृजन के पूर्व नियोजित सिनेमा भूखण्ड अथवा विद्यमान छविगृहों को तोड़कर व्यवसायिक सुविधाओं से युक्त सिनेमाहाल/मल्टीप्लेक्स बनाए जाने हेतु अपेक्षाएं

25.1	प्राधिकरण के सृजन के पूर्व नियोजित सिनेमा भूखण्ड अथवा विद्यमान छविगृह, जो सक्षम स्तर से अनुमोदित ले–आउट प्लान का भाग हैं, का भू–उपयोग छविगृह (व्यवसायिक) ही माना जाएगा भले ही महायोजना में उनका भू–उपयोग इससे इतर दर्शाया गया हो।		
25.2	छविगृह के प्रयोजनार्थ नियोजित भूखण्डों / छविगृह के भू—उपयोग का स्तर महायोजनान्तर्गत निर्धारित न होने की दशा में 'उपनगर केन्द्र (व्यवसायिक) माना जाएगा।		
25.3	सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत ले–आऊट प्लान के अन्तर्गत छविगृह हेतु नियोजित भूखण्ड/विद्यमान छविगृह का भू–उपयोग व्यवसायिक होने के कारण भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही आवश्यक नही होगी, अतः भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क देय नही होगा।		
25.4	ऐसे भूखण्ड/विद्यमान छविगृह यदि शासनादेश संख्या 4218/9–आ–3–99–42विविध/99, दिनांक 14.12.2000 यथासंशोधित शासनादेश संख्या 1663/9–आ–3–01–42विविध/99, दिनांक 18.4.2001 तथा शासनादेश संख्या 1806/9–आ–3–2004–42वि/99, दिनांक 08 जून, 2004 में निर्धारित अपेक्षाओं को पूर्ण करते हों, तो इन पर मल्टीप्लेक्स की अनुमति देय होगी।		
25.5	छविगृह/मल्टीप्लेक्स हेतु भू–आच्छादन एवं एफ.ए.आर. की अनुमन्यता आवंटन/लीज़ की शर्तों के अनुसार होगी। यदि लीज़ में उक्त प्राविधान नही है, तो भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 के प्राविधानों के अनुसार अधिकतम भू–आच्छादन 40 प्रतिशत एवं एफ.ए.आर. 1.75 अनुमन्य होगा। आवंटन/लीज़ की शर्तों के अनुसार अनुमन्य एफ.ए.आर. अथवा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार अनुमन्य एफ.ए.आर. के ऊपर यथास्थिति नियमानुसार कय–योग्य एफ.ए.आर. अनुमन्य होगा।		
25.6	छविगृह⁄मल्टीप्लेक्स के निर्माण सम्बन्धी अन्य अपेक्षाएं प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथ सुसंगत शासनादेशों के अनुसार होंगी।		
25.7	विद्यमान छविगृह को तोड़कर सिनेमाहाल सहित व्यवसायिक काम्पलेक्स/मल्टीप्लेक्स के निर्माण हे शासनादेश संख्या 1669/11–क.नि.–6–2004–बीस–एम.(36)/99, दिनांक 03.9.2004 एवं अधिसूचन संख्या क.नि.–6–1723/11–2005–बीस–एम(36)/2005, दिनांक 03 अक्तूबर, 2005 के प्राविधानों व अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।		